

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़
भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावास भवन, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

ई-मेल : seaccg@gmail.com

विषय:- राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की दिनांक 20/04/2022 को संपन्न 404वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

—00—

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 404वीं बैठक दिनांक 20/04/2022 को डॉ. बी.पी. नोन्हारे, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:-

1. डॉ. मनोज कुमार चोपकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
2. श्री किशन सिंह धुव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
3. डॉ. शैलेश कुमार जाधव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
4. श्री एन.के. चन्द्राकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
5. डॉ. मोहम्मद रफीक खान, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति

समिति द्वारा एजेण्डा में सम्मिलित विषयों पर निम्नानुसार विचार किया गया:-

एजेण्डा आइटम क्रमांक-1: दिनांक 19/04/2022 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन के संबंध में।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ 404वीं बैठक दिनांक 19/04/2022 को संपन्न हुई थी। समिति को अवगत कराया गया कि बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार किया जा रहा है, जिसे समिति के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त स्थिति से समिति सहमत हुई।



- पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

3. लेण्ड एरिया स्टेटमेंट – क्षमता विस्तार हेतु अतिरिक्त भूमि अधिग्रहित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। लेण्ड एरिया स्टेटमेंट निम्नानुसार है:-

Particular	Area (in Sq.m.)	Area (%)
Induction Furnace Area	1,200	10.42
Rolling Mill Area	2,550	22.14
Finished Good Area	700	6.08
Raw material Yard	900	7.81
Parking Area	750	6.51
Road Area	800	6.94
Green Belt Area	4,620	40.10
Total	11,520	100

4. रॉ-मटेरियल –

For Induction Furnace			
Raw Material	Existing Quantity (TPA)	After Expansion Quantity (TPA)	Mode of Transport
Sponge Iron	24,425	48,500	By Road through covered trucks
Scrap	7,617	15,000	
Ferro Alloys	320	660	
For Rolling Mill			
Billets	30,000	59,900	In house

5. स्थापित एवं प्रस्तावित इकाईयों संबंधी जानकारी –

Particular	Existing	After Expansion
Unit	Induction Furnace (1x10 TPH) Reheating Furnace (1x10TPH)	Induction Furnace (2x10 TPH) Reheating Furnace (1x10 TPH)
Working Hour	Induction Furnace 24 Hrs Reheating Furnace 10 Hrs	Induction Furnace 24 Hrs Reheating Furnace 24 Hrs
Production	Billet 30,000 TPA Rerolled Product 30,000 TPA	Billets 59,900 TPA Rerolled Product 59,900 TPA
Coal Requirement	3,000 TPA	5,672 TPA
Note: Existing reheating furnace based rolling mill shall not be changed and capacity expansion shall be achieved by increasing number of working hours of reheating furnace from 10 Hrs per day to 24 Hrs per day.		

6. वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था – वर्तमान में रि-हीटिंग फर्नेस कोल गैसीफायर आधारित रोलिंग मिल एवं इण्डक्शन फर्नेस में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु स्क़बर एवं 30 मीटर ऊंचाई की चिमनी स्थापित है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरान्त रि-हीटिंग फर्नेस कोल गैसीफायर आधारित रोलिंग मिल एवं इण्डक्शन फर्नेस में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु पीटीएफई बेग फिल्टर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। चिमनी की ऊंचाई यथावत् रहेगी। चिमनी से पार्टिकुलेट मीटर का

उत्सर्जन 50 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम कर 30 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर रखा जाना प्रस्तावित है। फ्युजिटीव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु भी अपनाई जाएगी। वर्तमान में रि-रोल्ड प्रोडक्ट्स ऑयल/स्टील के उत्पादन हेतु 9.1 टन प्रतिदिन कोयले की आवश्यकता होती है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत रि-रोल्ड के उत्पादन हेतु 17.19 टन प्रतिदिन कोयले की आवश्यकता होगी। वर्तमान में रोलिंग मिल रि-हीटिंग फर्नेस से एस.ओ.₂ के उत्सर्जन की मात्रा 23,100 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष होता है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत रि-हीटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल से एस.ओ.₂ के उत्सर्जन की मात्रा में कमी लाने हेतु स्टैक इनलेट के पहले लाईम डोसिंग इकाई स्थापित की जाएगी, जिससे 9,240 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष एस.ओ.₂ उत्सर्जन में कमी होगी। इस व्यवस्था से एस.ओ.₂ के उत्सर्जन की मात्रा 13,860 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष होना संभावित है।

7. ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था - वर्तमान में इण्डक्शन फर्नेस एवं रोलिंग मिल से स्लेग-1,148 टन प्रतिवर्ष, मिल स्कैल-153 टन प्रतिवर्ष, एण्ड कटिंग-102 टन प्रतिवर्ष, यूरुड आयल-90 लीटर प्रतिवर्ष, किचन वेस्ट 8 कि.ग्रा. प्रतिदिन एवं ऐश-1 टन प्रतिदिन अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होता है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत इण्डक्शन फर्नेस एवं रि-हीटिंग फर्नेस कोल गैसीफायर आधारित रोलिंग मिल से स्लेग- 2,250 टन प्रतिवर्ष, मिल स्कैल- 300 टन प्रतिवर्ष, एण्ड कटिंग-500 टन प्रतिवर्ष, यूरुड आयल - 180 लीटर प्रतिवर्ष एवं ऐश-2 टन प्रतिवर्ष अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगी। स्लेग को स्लेग प्रोसेसिंग इकाई को विक्रय किया जाएगा। मिल स्कैल एवं एण्ड कटिंग को पुनः प्रोसेसिंग में उपयोग किया जाएगा। यूरुड ऑयल को अधिकृत वेण्डर को विक्रय किया जाएगा। ऐश को समीपस्थ ईट निर्माण इकाईयों को विक्रय किया जाएगा।

8. जल प्रबंधन व्यवस्था -

- जल खपत एवं स्रोत - वर्तमान में परियोजना हेतु कुल 21 घनमीटर प्रतिदिन (औद्योगिक प्रक्रिया हेतु 10 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट सप्रेसन हेतु 4 घनमीटर प्रतिदिन, ग्रीन बेल्ट हेतु 2 घनमीटर प्रतिदिन एवं घरेलू हेतु 5 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाता है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत परियोजना हेतु कुल 32 घनमीटर प्रतिदिन (औद्योगिक प्रक्रिया हेतु 16 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट सप्रेसन हेतु 4 घनमीटर प्रतिदिन, ग्रीन बेल्ट हेतु 4 घनमीटर प्रतिदिन तथा घरेलू हेतु 8 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। आवश्यक जल की आपूर्ति सी.एस.आई.डी.सी. से किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में भी उपरोक्त व्यवस्था अपनाई गई है।
- जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था - औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न होता है। रोलिंग मिल से कुलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कुलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल औद्योगिक दूषित जल को ठंडा कर पुनः कुलिंग हेतु उपयोग किया जाएगा। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत घरेलू दूषित जल की मात्रा 6 घनमीटर प्रतिदिन होगी। परियोजना से उत्पन्न दूषित जल के उपचार हेतु एमबीबीआर तकनीक आधारित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता 8 घनमीटर प्रतिदिन की स्थापना प्रस्तावित है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंतर्गत बार स्क्रीन, ऑयल एण्ड ग्रीस ट्रेप, सॉ-सीवेज कलेक्शन टैंक, एमबीबीआर टैंक, स्लज पम्पस, फिल्टर प्रेस, इंटरमेडियेट टैंक, प्रेसर सेण्ड फिल्टर,

एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर एवं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन आदि स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी।

- **भू-जल उपयोग प्रबंधन** – उद्योग स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसार—
(अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।
(ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू-जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान था। उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।
- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – उद्योग परिसर में वर्षा जल का कुल रनऑफ 7,907 घनमीटर है। वर्तमान में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 3 नग रिचार्ज पिट (लंबाई 2.5 मीटर, चौड़ाई 2.5 मीटर, गहराई 2.5 मीटर) निर्मित किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत अतिरिक्त 2 नग रिचार्ज पिट (लंबाई 2.5 मीटर, चौड़ाई 2.5 मीटर, गहराई 2.5 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएंगे कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके।

9. **प्रदूषण भार संबंधी जानकारी** – सम्मति प्राप्त स्थापित क्षमता से उत्पादन की दशा में एवं क्षमता विस्तार उपरांत उत्पादन की दशा में कुल प्रदूषण भार की गणना कर (जल उपयोग की मात्रा, दूषित जल की मात्रा / गुणवत्ता, प्रदूषकों के उत्सर्जन की मात्रा एवं उत्पन्न ठोस अपशिष्टों की मात्रा) प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार वर्तमान में पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर के अनुसार कुल उत्सर्जन मात्रा 30,287.4 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष है। प्रस्तावित पीटीएफई बेग फिल्टर एवं चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने से इस्ट उत्सर्जन की मात्रा 24,789.6 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष होगी। स्टैक इनलेट के पहले लाईम डोसिंग इकाई स्थापित किया जाएगा, जिससे एस.ओ₂ उत्सर्जन की मात्रा 23,100 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष से कम कर 13,880 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष होगा। औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल उत्पन्न होगा, अपितु रोलिंग मिल के कुलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कुलिंग हेतु उपयोग में लाया जाएगा तथा शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी। उत्पन्न सभी ठोस अपशिष्टों का अपवहन उपरोक्तानुसार किया जाएगा। इस प्रकार क्षमता विस्तार उपरांत (1) प्रतिवर्ष उत्सर्जित होने वाले पार्टिकुलेट मेटर की मात्रा में कमी, (2) एस.ओ₂ उत्सर्जन की मात्रा में कमी, (3) उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट की मात्रा में वृद्धि होगी जिसे पुनःउपयोग/विभिन्न कार्यों में उपयोग किया जाएगा तथा (4) जल उपयोग की मात्रा में आंशिक वृद्धि होना संभावित है, जिसकी प्रतिपूर्ति हेतु उद्योग परिसर में वर्षाजल के कुल रनऑफ का भू-गर्भ में रिचार्ज करना प्रस्तावित है।
10. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत प्रदूषण भार में वर्तमान में स्थापित इण्डक्शन फर्नेस (1 X 10 TPH) एवं प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत इण्डक्शन फर्नेस (2 X 10 TPH) में आयतन प्रवाह दर

[Handwritten signature]

राजेश कुमार

(volumetric flow rate) यथावत् रखकर गणना की गई है, जो कि उपयुक्त नहीं है। जबकि इण्डकशन फर्नेस में वृद्धि होने के कारण आयतन प्रवाह दर (volumetric flow rate) में वृद्धि होना संभावित है। अतः समिति का मत है कि उपरोक्त हेतु पुनः प्रदूषण भार की स्पष्ट गणना परियोजना प्रस्तावक से मंगाया जाना आवश्यक है।

11. **विद्युत आपूर्ति स्रोत** – वर्तमान में परियोजना हेतु 4 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होती है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत परियोजना हेतु 8.5 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होगी। विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से की जाती है। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु डी.जी. सेट स्थापित किये जाने के संबंध जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
12. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – वर्तमान में हरित पट्टिका के विकास हेतु 538 नग पौधे रोपित किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत 0.48 हेक्टेयर (लगभग 40.1 प्रतिशत) क्षेत्र में 614 नग पौधे रोपित किया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि उद्योग परिसर के भीतर 40.1 प्रतिशत वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का वर्षवार घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
13. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत परियोजना की कुल विनियोग का 1 प्रतिशत व्यय किया जाना बताया गया, जिसे समिति द्वारा अमान्य किया गया। समिति का मत है कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत परियोजना की कुल विनियोग का 2 प्रतिशत व्यय किया जाए। अतः सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण तथा सी.ई.आर. के तहत वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार, समयवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. जल की आपूर्ति सीएसआईडीसी से किये जाने हेतु अनुमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. प्रस्तुत प्रदूषण भार में वर्तमान में स्थापित इण्डकशन फर्नेस (1 X 10 TPH) एवं प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत इण्डकशन फर्नेस (2 X 10 TPH) में आयतन प्रवाह दर (volumetric flow rate) यथावत् रखकर गणना की गई है, जो कि उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है। जबकि इण्डकशन फर्नेस में वृद्धि होने के कारण आयतन प्रवाह दर (volumetric flow rate) में वृद्धि होना संभावित है। अतः उपरोक्त हेतु पुनः प्रदूषण भार की स्पष्ट गणना कर प्रस्तुत करते हुए एवं स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 404वीं बैठक दिनांक 20/04/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री दयानंद अग्रवाल, डीयररेक्टर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. जल एवं वायु सम्मति -

- क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायगढ़ द्वारा एम.एस. इंगाट्स क्षमता - 28,800 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति दिनांक 12/10/2021 को जारी की गई है, जो 01 वर्ष की अवधि हेतु (Date of commissioning of the plant) वैध है।
- वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

2. निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी -

- निकटतम आबादी ग्राम-पाली 1 कि.मी., शहर रायगढ़ 10 कि.मी एवं रेलवे स्टेशन किरोड़ीमल नगर 7 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राज्यमार्ग 800 मीटर की दूर है। केलो नदी 1.5 कि.मी. दूर है।
- उर्दना आरक्षित वन 520 मीटर, बारकछार आरक्षित वन 1 कि.मी., तराईमल आरक्षित वन 3.6 कि.मी., बोईरददार आरक्षित वन 8.43 कि.मी., केराडोंगरी संरक्षित वन 2.5 कि.मी. एवं साखा संरक्षित वन 1 कि.मी. दूर है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किलोमीटर की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

3. भू-स्वामित्व संबंधी दस्तावेज (बी-1) प्रस्तुत किया गया है।

4. लेण्ड एरिया स्टेटमेंट -

Land use	Existing		After Expansion	
	Area (in Sq. m.)	Area (%)	Area (in Sq. m.)	Area (%)
Built Up Area	0.8425	35	1.5758	45.40
Road Area	0.2407	10	0.3332	9.60
Green Belt Area	0.8023	33.33	1.1570	33.50
Open Area	0.5215	21.67	0.4050	11.50
Total	2.4070	100	3.4710	100

5. रॉ-मटेरियल -

For Induction Furnace (Steel melting shop)		
Name of Raw Material	Quantity (TPA)	Mode of Transport
Sponge Iron	2,32,075	By Road Through Covered Vehicles
Cl/ Pig Iron Heavy Scrap	51,176	

Ferro Alloys	2,559	
Ramming Mass & other Refractory linings	370	
For Hot Charging Rerolling Mill		
Hot Billets	1,68,960	Internal Transfer
For Reheating Furnace based Rolling Mill		
Cold Billets Internally Available	78,000	Internal Transfer By Road Through Covered Vehicles
Coal	8,892	By Rail & Road Through Covered Vehicles
For Pipe Mill		
MS Strip Through Re-heating Furnace and outside Market	1,29,036	Internally available and through covered trucks from nearby steel plants

6. स्थापित एवं प्रस्तावित इकाईयों संबंधी जानकारी –

Particulars	Existing Capacity (in TPA)	After Expansion Capacity (in TPA)
Steel Melting Shop (Induction Furnace with CCM)	28,800 TPA (1 X 10 T & 1 X 6 T Furnace)	246,960 TPA (6 X 12 T Furnace)
Hot Charging based Rolling Mill	-	1,60,512
Reheating Furnace based on Coal Gasifier/ Pulverised Coal Rolling Mill	-	74,100
Pipe Mill	-	1,22,600

7. वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था – प्रस्तावित परियोजना के अंतर्गत इण्डक्शन फर्नेस में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु बेग फिल्टर एवं धिमनी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है तथा प्रस्तावित परियोजना हेतु रि-हिटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल में वेट स्क़बर एवं धिमनी लगाया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त व्यवस्था से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम रखा जाना प्रस्तावित है।
8. ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था – प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत स्टील मेल्टिंग शॉप से डिफेक्टिव बिलेट्स – 2,520 टन प्रतिवर्ष, मिल स्केल – 2,520 टन प्रतिवर्ष, स्लेग – 29,195 टन प्रतिवर्ष, रिफेक्ट्री एण्ड रमिंग मास वेस्ट – 185 टन प्रतिवर्ष एवं रोलिंग मिल से मिल स्केल – 4,939 टन प्रतिवर्ष, डिफेक्टिव एण्ड मिस रोल – 7,409 टन प्रतिवर्ष, कोल ऐश – 4,001 टन प्रतिवर्ष तथा पाईप मिल से एम.एस. स्क़ैप – 6,452 टन प्रतिवर्ष अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। स्टील मेल्टिंग शॉप से उत्पन्न डिफेक्टिव बिलेट्स एवं मिस रोल को स्वयं के रि-रोलिंग प्लांट में स्क़ैप के रूप में उपयोग अथवा अन्य रोलिंग मिल को विक्रय किया जाएगा। रोलिंग मिल से उत्पन्न मिल स्केल को समीपस्थ फेरो एलॉय /पेलेट प्लांट को विक्रय किया जाएगा। स्लेग को मेटल रिकवरी के लिए आंतरिक रूप से उपयोग (Used Internally) एवं ईट निर्माण इकाई को उपलब्ध अथवा मेटल रिकवरी इकाई को विक्रय किया जाएगा। रिफेक्ट्री एण्ड रमिंग मास

वेस्ट को अधिकृत रिसायक्लर को विक्रय किया जाएगा। कोल ऐश को ब्रिक निर्माण इकाई अथवा सीमेंट निर्माण इकाई को विक्रय किया जाएगा। एम.एस पाईप मिल से उत्पन्न एम.एस. स्क्रीप को स्वयं के रि-रोलिंग प्लांट में स्क्रीप के रूप में उपयोग अथवा अन्य रोलिंग मिल को विक्रय किया जाएगा।

9. जल प्रबंधन व्यवस्था -

- **जल खपत एवं स्रोत** - वर्तमान में परियोजना हेतु कुल 80 घनमीटर प्रतिदिन जल का उपयोग किया जाता है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत परियोजना हेतु कुल 210 घनमीटर प्रतिदिन (औद्योगिक प्रक्रिया हेतु 201 घनमीटर प्रतिदिन एवं घरेलू हेतु 9 घनमीटर) जल का उपयोग किया जाएगा। वर्तमान में भू-जल की उपयोगिता (80 घनमीटर प्रतिदिन) हेतु सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी से दिनांक 20/11/2023 तक की अवधि हेतु अनुमति प्राप्त की गई है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत जल की आपूर्ति भू-जल से किया जाना प्रस्तावित है। जल की आपूर्ति हेतु सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है।
- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** - औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न होता है। रोलिंग मिल से कुलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कुलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल औद्योगिक दूषित जल को ठंडा कर पुनः कुलिंग हेतु उपयोग किया जाएगा। साथ ही ई.टी.पी.(न्यूट्रलाइजेशन सिस्टम) की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। ई.टी.पी. से उपचारित जल को डस्ट सप्रेसन में उपयोग किया जाएगा। वर्तमान में घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट निर्माण किया गया है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाती है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत दूषित जल की मात्रा एवं उसके उपचार की जानकारी (प्रोसेस फ्लो चार्ट सहित) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- **भू-जल उपयोग प्रबंधन** - परियोजना स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेफ जोन में आता है। जिसके अनुसार-
(अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 40 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।
(ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू-जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।
- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** - वर्तमान में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 1 नग रिचार्ज स्ट्रक्चर (लंबाई 3 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर, गहराई 3 मीटर) निर्मित किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 5 नग रिचार्ज स्ट्रक्चर (लंबाई 4 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर, गहराई 2 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत कुल रन ऑफ वॉटर की विस्तृत गणना/जानकारी ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण रनऑफ को

रिवाज किया जा सके तथा सभी रिवाज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाए कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके।

10. **विद्युत आपूर्ति स्रोत** – वर्तमान में परियोजना हेतु 5.5 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होती है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत परियोजना हेतु 21 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होगी। विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से किया जाता है। वर्तमान में वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 1 नग 750 के.व्ही.ए. क्षमता का डी.जी. सेट स्थापित है एवं इसके अतिरिक्त प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 2 नग 750 के.व्ही.ए. क्षमता का डी.जी. सेट स्थापित किया जाएगा।
11. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत 1.157 हेक्टेयर (संगमग 33.5 प्रतिशत) क्षेत्र में पौधे रोपित किया जाना प्रस्तावित है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्ता कर प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. **मेसर्स नगझर लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.- श्री लोकेश चन्दा), ग्राम-नगझर, तहसील-मालखरीदा, जिला-जांजगीर-चांपा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1889)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 247814/2021, दिनांक 27/12/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-नगझर, तहसील-मालखरीदा, जिला-जांजगीर-चांपा स्थित खसरा क्रमांक 211/1, 204/4, 229 शामिल 6, 224/3, 212/3, 212/2, 224/2, 227/3, 224/1, 227/2, 199/1, 204/1, 225 शामिल 4, 211/2, 226/2 शामिल 3, 227/1 शामिल 3, 227/4, 228/1, 205/5, 205/3, 205/4 एवं 205/1, कुल क्षेत्रफल-1.488 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता- 20,396 टन (8,158.4 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 12/04/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 404वीं बैठक दिनांक 20/04/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री लोकेश चन्दा, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत नगझर का दिनांक 01/02/2021 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्खनन योजना – क्वारी प्लान, इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि, प्रशा.), जिला-कोरबा के ज्ञापन क्रमांक 4602/खलि/उ.यो.अ./2017 कोरबा, दिनांक 01/10/2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जांजगीर-चांपा के ज्ञापन क्रमांक 1449/गौण खनिज/न.क्र./2021-22 जांजगीर, दिनांक 06/10/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जांजगीर-चांपा के ज्ञापन क्रमांक 1448/गौण खनिज/न.क्र./2021-22 जांजगीर, दिनांक 06/10/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे रोड, पुल, रेललाईन, नहर, बांध, एनीकट, भवन, स्कूल, अस्पताल, मंदिर, मस्जिद, मुरुद्वारा, दार्शनिक स्थल एवं प्राकृतिक संरचनाएं आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। बगान नाला 65 मीटर दूर है।
6. एल.ओ.आई. संबंधी विवरण – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जांजगीर-चांपा के ज्ञापन क्रमांक/1282/गौण खनिज/न.क्र./2021-22 जांजगीर, दिनांक 13/09/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।
7. भू-स्वामित्व –

खसरा क्रमांक	भूमि स्वामी
211/1	श्री लोकेश
204/4, 229 शामिल 6	श्री मनोज कुमार
224/3	श्री हीरासाय, श्री समारुलाल, श्रीमती हीरामती एवं श्रीमती हीराबाई
212/3	श्री नवधा सिंह
212/2	श्री पिताम्बर
224/2, 227/3	श्री दुकालु एवं श्री तिरपन कर्ष
224/1, 227/2	श्री लक्ष्मीराम
199/1, 204/1, 225 शामिल 4, 211/2, 226/2 शामिल 3, 227/1 शामिल 3, 227/4, 228/1	श्री लक्ष्मण, श्री लक्ष्मीराम, श्री चमरू, श्री भरत, श्रीमती लक्ष्मीन बाई, श्रीमती बृंदामति, श्रीमती विमला, श्रीमती श्याम बाई
205/5	श्री दिवाली प्रसाद
205/3	श्री शिवकुमार, सुश्री रेशम कुमारी
205/4	श्री मेहतर लाल
205/1	श्री दाताराम चंदा

उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों के सहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।

14. वृक्षारोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,200 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।
15. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
16. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
25.54	2%	0.52	Following activities at, Government Primary School, Village- Nagjhhar	
			Potable Drinking water facility	0.25
			Distribution of environment related book	0.20
			Plantation with fencing	0.12
			Total	0.57

17. सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत स्कूल के परिसर में पौधों, खाद एवं सिंचाई के लिए राशि 5,000 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 7,500 रुपये इस प्रकार कुल राशि 12,500 रुपये घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
19. उपरोक्त सी.ई.आर. कार्य के अतिरिक्त ग्राम-नगझर के तालाब के चारों तरफ आम के विभिन्न प्रजातियों का रोपण हेतु सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार तालाब के परिसर में 150 नग पौधों के लिए राशि 15,000 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 30,000 रुपये, खाद के लिए राशि 7,500 रुपये, रख-रखाव के लिए राशि 80,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 1,32,500 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 3,50,000 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
20. माननीय एन.जी.टी. प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 188 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-
- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by

SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जांजगीर-चांपा के द्वापन क्रमांक 1449/गौण खनिज/न.क्र./2021-22 जांजगीर, दिनांक 06/10/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम-नगझर) का एकदा 1.488 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।
2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक - मेसर्स नगझर लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.- श्री लोकेश चन्द्रा) की ग्राम-नगझर, तहसील-मालखरीदा, जिला-जांजगीर-चांपा के खसरा क्रमांक 211/1, 204/4, 229 शामिल 6, 224/3, 212/3, 212/2, 224/2, 227/3, 224/1, 227/2, 199/1, 204/1, 225 शामिल 4, 211/2, 226/2 शामिल 3, 227/1 शामिल 3, 227/4, 228/1, 205/5, 205/3, 205/4 एवं 205/1 में स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-1.488 हेक्टेयर, क्षमता-20,396 टन (8,158 घनमीटर) प्रतिवर्ष हेतु परिशिष्ट-01 में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।
3. उत्खनन करने के पूर्व आवेदक, क्षेत्र में उपलब्ध मिट्टी 2,217.5 घनमीटर को सीमा पट्टी 6,010 घनमीटर में आवश्यकतानुसार भण्डारण करने के उपरांत अवशेष मिट्टी के भण्डारण हेतु सक्षम प्राधिकारी से विधिवत् अनुमति प्राप्त की जाए तथा अनुमति की प्रति एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित की जाए।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

4. मेसर्स नगझर डोलोमाईट क्वारी (प्रो.- श्री लोकेश चन्द्र), ग्राम-नगझर, तहसील-मालखरीदा, जिला-जांजगीर-चांपा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1890)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 247872/2021, दिनांक 27/12/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित डोलोमाईट (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-नगझर, तहसील-मालखरीदा, जिला-जांजगीर-चांपा स्थित खसरा क्रमांक 65/3, 74, 77/2, 65/2, 76/2, 72, 69/2 शामिल 70/2, 69/1 शामिल 70/1, 67, 76/3, 76/4, 76/5, 76/1, 68/1, 68/2, 64/3, 64/12, 64/11, 65/1, 73, 65/4, 66 एवं 77/1, कुल क्षेत्रफल-4.587 हेक्टेयर में

प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता—2,00,337 टन (77,052.69 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 12/04/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 404वीं बैठक दिनांक 20/04/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री लोकेश चन्द्र, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:—

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:— इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत नगझर का दिनांक 01/02/2021 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्खनन योजना – क्वारी प्लान, इन्डायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि प्रशा.), जिला-कोरबा के ज्ञापन क्रमांक/4606/खलि/उ.यो.अ./2017 कोरबा, दिनांक 01/10/2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जांजगीर चांपा के ज्ञापन क्रमांक/1447/गौण खनिज/न.क्र./2021-22, जांजगीर, दिनांक 08/10/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जांजगीर चांपा के ज्ञापन क्रमांक/1448/गौण खनिज/न.क्र./2021-22 जांजगीर, दिनांक 08/10/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे रोड, पुल, रेल लाईन, नहर, बांध, एनीकट, भवन, स्कूल, हास्पिटल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, मरघट, दार्शनिक स्थल एवं प्राकृतिक संरचनाएं आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. एल.ओ.आई. संबंधी विवरण – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जांजगीर-चांपा के ज्ञापन क्रमांक/1278/गौण खनिज/न.क्र./2021-22 जांजगीर, दिनांक 13/09/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।
7. भू-स्वामित्व –

खसरा क्रमांक	भूमि स्वामी
65/3, 74, 77/2	श्री लोकेश चन्द्रा
65/2	श्री देवेन्द्र कुमार
76/2	श्री लखाराम एवं श्री सुन्दरलाल
72, 69/2 शामिल 70/2	श्री अमृतलाल एवं श्रीमती करमन बाई
69/1 शामिल 70/1, 67	श्रीमती मीना बाई
76/3	श्री किसोनोराम सतनामी

76 / 4	श्री भरत सतनामी
76 / 5	श्री शोहेबलाल सतनामी
76 / 1	श्री तोषनारायण सतनामी
68 / 1, 68 / 2, 64 / 3, 64 / 12	श्री गौरीलाल
64 / 11	श्री बृजलाल सतनामी
65 / 1, 73	श्री बुधराम, श्री नारायण एवं श्री वाग्रह
65 / 4	श्री महेत्तार चन्द्रा
66	श्री मनोज कुमार
77 / 1	श्री छोटेलाल

उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों के सहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, जांजगीर-चांपा वनमण्डल, चांपा के झापन क्रमांक/तक.अधि/448 चांपा, दिनांक 05/07/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 15.55 कि.मी की दूरी पर है।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आवादी ग्राम-चारपारा 950 मीटर, स्कूल ग्राम-नगझर 1.6 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम-मालखरीद 2.75 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 21.4 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 6.2 कि.मी. दूर है। बरसाती नाला 170 मीटर एवं तालाब 1 कि.मी. दूर है।
11. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
12. खनन संपदा एवं खनन का विवरण – जियोलॉजिकल रिजर्व 35,18,229 टन, माईनेबल रिजर्व 19,55,250 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 19,16,145 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 7,711 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 30 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.25 मीटर है तथा कुल मात्रा 9,539.75 घनमीटर है आवश्यकतानुसार 2,775 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण एवं शेष मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर स्वयं की भूमि पर भंडारित किया जाएगा। ओवर बर्डन की मोटाई 0.25 मीटर है तथा कुल मात्रा 9,539.75 घनमीटर है। आवश्यकतानुसार ओवर बर्डन का उपयोग रेम्प, हॉल रोड एवं पहुंच मार्ग में भराव हेतु एवं शेष ओवर बर्डन को लीज क्षेत्र के बाहर स्वयं की भूमि पर भंडारित कर कॉन्सेप्युअल स्टेज में खदान के रिकलेमेशन हेतु उपयोग किया जायेगा। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं किया जाएगा। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

19. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जांजगीर चांपा के ज्ञापन क्रमांक/1447/गौण खनिज/न.क्र./2021-22, जांजगीर, दिनांक 06/10/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम-नगझर) का रकबा 4.587 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक - मेसर्स नगझर डोलोमाईट क्वारी (प्रो.- श्री लोकेश चन्दा) की ग्राम-नगझर, तहसील-मालखरीदा, जिला-जांजगीर-चांपा के खसरा क्रमांक 65/3, 74, 77/2, 65/2, 76/2, 72, 69/2 शामिल 70/2, 69/1 शामिल 70/1, 67, 76/3, 76/4, 76/5, 76/1, 68/1, 68/2, 64/3, 64/12, 64/11, 65/1, 73, 65/4, 66 एवं 77/1 में स्थित डोलोमाईट (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-4.587 हेक्टेयर, क्षमता - 2,00,337 टन (77,052 घनमीटर) प्रतिवर्ष हेतु परिशिष्ट-02 में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

3. उत्खनन करने के पूर्व आवेदक, क्षेत्र में उपलब्ध मिट्टी 9,539.75 घनमीटर को सीमा पट्टी 7,711 वर्गमीटर में आवश्यकतानुसार भण्डारण करने के उपरांत अवशेष मिट्टी लगभग 8,784.75 घनमीटर के भण्डारण हेतु सक्षम प्राधिकारी से विधिवत् अनुमति प्राप्त की जाए तथा अनुमति की प्रति एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित की जाए।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

5. मेसर्स अमरपुर क्लेशर स्टोन क्वारी (प्रो.- श्री अशोक कुमार जायसवाल), ग्राम-अमरपुर, तहसील-बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1869)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/सीजी/एमआईएन/244352/2021, दिनांक 13/12/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में

कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 16/12/2021 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 28/12/2021 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। यह पूर्व से संचालित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-अमरपुर, तहसील-बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया स्थित खसरा क्रमांक 04, कुल क्षेत्रफल-1.85 हेक्टेयर है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-18,369 टन प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 12/04/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 404वीं बैठक दिनांक 20/04/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अशोक कुमार जायसवाल, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-**

- i. पूर्व में साधारण पत्थर खदान खसरा क्रमांक 04, कुल क्षेत्रफल-1.85 हेक्टेयर, क्षमता- 4,566 घनमीटर (11,871.6 टन) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला-कोरिया द्वारा दिनांक 10/01/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष की अवधि हेतु जारी की गई है।
- ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। परंतु प्रकरण क्षमता विस्तार का है। अतः एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन मंगाया जाना आवश्यक है।
- iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।
- iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 1776/खनिज/उ.प./2021, कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 16/12/2021 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2017	4,465
2018	656
2019	2,986
2020	4,550
2021	3,710

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत अमरपुर का दिनांक 15/10/2010 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – नॉडिफाईड माईनिंग प्लान एलॉग विथ क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 1591/खनिज/खलि.2/2021, कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 17/11/2021 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान –** कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 1777/खनिज/उ.प./2021, कोरिया बैकुण्ठपुर दिनांक 18/12/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए –** कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 1778/खनिज/उ.प./2021, कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 18/12/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल एवं रेल लाईन आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. **भूमि एवं लीज का विवरण –** यह शासकीय भूमि है। लीज श्री अशोक कुमार जायसवाल के नाम पर है। लीज डीड की अवधि 5 वर्ष अर्थात् दिनांक 05/03/2011 से 04/03/2016 की अवधि तक थी। तत्पश्चात् लीज डीड में 25 वर्षों की, दिनांक 05/03/2016 से 04/03/2041 तक की अवधि वृद्धि की गई है।
7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट –** वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र –** कार्यालय उप वनमण्डलाधिकारी कोरिया वनमण्डल, बैकुण्ठपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./1682 बैकुण्ठपुर, दिनांक 06/08/2010 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 3 कि.मी की दूरी पर है।
9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी –** निकटतम आबादी ग्राम-अमरपुर 1 कि.मी., स्कूल ग्राम-अमरपुर 1.2 कि.मी. एवं अस्पताल बैकुण्ठपुर 12 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 12 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 12 कि.मी. दूर है। धनुहारी नाला 250 मीटर दूर है।
10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र –** परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण –** जियोलॉजिकल रिजर्व 7,75,959 टन, माईनेबल रिजर्व 1,77,372 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 1,68,503 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 5,950 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 18 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 5,348 घनमीटर है। इस मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव की व्यवस्था की गई है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	17,667	षष्ठम	17,667
द्वितीय	17,667	सप्तम	17,667
तृतीय	17,667	अष्टम	17,667
चतुर्थ	17,667	नवम	17,667
पंचम	17,667	दशम	18,369

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से की जाएगी। इस बाबत ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,245 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।
14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – सी.ई.आर. के अंतर्गत 'पवित्र वन' के तहत (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 200 नग पौधों के लिए राशि 600 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 40,000 रुपये, खाद के लिए राशि 700 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए राशि 36,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 77,300 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 1,46,800 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। सी.ई.आर. के तहत पवित्र वन हेतु ग्राम पंचायत के सहमति उपरांत ग्राम पंचायत अमरपुर अंतर्गत शासकीय भूमि नहीं होने के कारण ग्राम पंचायत अमरपुर के पहुंच मार्गों में दोनों तरफ वृक्षारोपण कार्य के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर को तदानुसार सूचित किया जाए।

6. मेसर्स बैकुण्ठपुर आर्डिनरी स्टोन क्वारी (प्रो.- श्री विरेन्द्र कुमार सिंह),
ग्राम-बैकुण्ठपुर, तहसील-वाड्डफनगर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज
(सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1871)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/
244137/2021, दिनांक 13/12/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाईन
आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में
कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 16/12/2021 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु
निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक
28/12/2021 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है।
खदान ग्राम-बैकुण्ठपुर, तहसील-वाड्डफनगर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज स्थित
खसरा क्रमांक 385, कुल क्षेत्रफल-2 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित
उत्खनन क्षमता-18,750 टन प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक
12/04/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 404वीं बैठक दिनांक 20/04/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री शांतनु सिंह, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा
नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:- इस खदान को पूर्व में
पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत
बैकुण्ठपुर का दिनांक 20/08/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया
है।
3. उत्खनन योजना - क्वारी प्लान एलॉग विथ क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया
गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-कोरिया के ज्ञापन
क्रमांक/1593/खनिज/खलि.2/2021, कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक
17/11/2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा),
जिला-बलरामपुर रामानुजगंज के ज्ञापन क्रमांक
873/खनिज/उत्खनिपट्टा/2021 बलरामपुर, दिनांक 27/09/2021 के
अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की परिधि में अवस्थित अन्य खदानों की
संख्या निरंक है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएँ - कार्यालय
कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बलरामपुर रामानुजगंज के ज्ञापन क्रमांक
872/खनिज/उत्खनिपट्टा/2021 बलरामपुर, दिनांक 27/09/2021 द्वारा
जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी
सार्वजनिक क्षेत्र जैसे रेल लाईन, नहर, भवन, स्कूल, मंदिर, मस्जिद, मरघट,
अस्पताल, बांध, एनीकट एवं संरचनाएँ आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. एल.ओ.आई. संबंधी विवरण - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा),
जिला-बलरामपुर रामानुजगंज के ज्ञापन क्रमांक 510/गौण खनिज/

उत्खननपट्टा/ 2021 बलरामपुर, दिनांक 09/06/2021 द्वारा एल.ओ.आई. जारी की गई है, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।

7. **भू-स्वामित्व** – भूमि श्री वृजवासी अहीर के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, बलरामपुर वनमण्डल, बलरामपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.वि./2019/4805 बलरामपुर, दिनांक 18/09/2019 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 1 कि.मी की दूरी पर है।
10. **गहत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम-बैकुण्ठपुर 3 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम-बैकुण्ठपुर 3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 10 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 3 कि.मी. दूर है। घूमर नाला 1.3 कि.मी. दूर है।
11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 3,12,000 टन, माईनेबल रिजर्व 1,87,590 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 1,78,210 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 5,745 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 6 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 8,510 घनमीटर है। आवश्यकतानुसार 7,127.5 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण एवं शेष मिट्टी को सहमति प्राप्त भूमि खसरा क्रमांक 385(पार्ट), कुल क्षेत्रफल 1.67 हेक्टेयर पर संरक्षित रखने हेतु सक्षम प्राधिकारी से अनुमति उपरांत भंडारित किया जायेगा। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लॉस्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	18,759	षष्ठम	18,759
द्वितीय	18,759	सप्तम	18,759
तृतीय	18,759	अष्टम	18,759
चतुर्थ	18,759	नवम	18,759
पंचम	18,759	दशम	18,759

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से की जाएगी। इस बाबत ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

14. वृक्षारोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,191 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।
15. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
16. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – सी.ई.आर. के अंतर्गत 'पवित्र वन' के तहत (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 200 नग पीपलों के लिए राशि 600 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 40,000 रुपये, खाद के लिए राशि 700 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए राशि 36,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 77,300 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 1,48,800 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। जिसे समिति द्वारा मान्य किया गया। सी.ई.आर. के तहत पवित्र वन हेतु ग्राम पंचायत के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 532, क्षेत्रफल 0.67 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।
17. माईनिंग प्लान अनुसार लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मात्रा 8,510 घनमीटर है, जिसमें से 7,127.5 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण किये जाने का उल्लेख है, जो कि संभवतः 1 मीटर से अधिक की ऊंचाई होगी। समिति का मत है कि सुरक्षा के कारणों से ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में 1 मीटर की ऊंचाई से अधिक रखा जाना संभव नहीं है। अतः उपरोक्त के आधार पर संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
18. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना को कंप्यूटर फाईल में अवलोकन करने पर खदान की बाउण्ड्री से लगी हुई रहवास क्षेत्र प्रदर्शित हो रही है। अतः समिति का मत है कि खदान की बाउण्ड्री से लगी हुई रहवास क्षेत्र की दूरी संबंधी जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण हेतु पीपलों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
2. खदान से लगी हुई / समीपस्थ आबादी के संबंध में दूरी की जानकारी कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बलरामपुर रामानुजगंज से सत्यापित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त कर प्रस्तुत की जाए।
3. माईनिंग प्लान अनुसार लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मात्रा 8,510 घनमीटर है, जिसमें से 7,127.5 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण किये जाने का उल्लेख है, जो कि संभवतः 1 मीटर से अधिक की ऊंचाई होगी। सुरक्षा के कारणों से ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में 1 मीटर की ऊंचाई से अधिक रखा जाना संभव नहीं है। अतः उपरोक्त के आधार पर संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

7. मेसर्स एल.के. कार्पोरेट्स एण्ड लॉजिस्टिक्स पार्क, ग्राम—डुमरतराई, तहसील व जिला—रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1894)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएस/ 248530/ 2021, दिनांक 30/12/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत ग्राम—डुमरतराई, तहसील व जिला—रायपुर स्थित वर्तमान में खसरा क्रमांक 185/6(पार्ट), 193/1, 193/30(पार्ट), 193/4, 193/28, 193/29, 193/36(पार्ट), 193/37, 193/40, 185/15(पार्ट), 185/20(पार्ट), 185/22(पार्ट), 185/35, 192/6, 193/6, 193/7, 193/8, 193/9, 193/10, 193/33(पार्ट), 193/11, 193/12, 193/13(पार्ट), 193/14(पार्ट), 193/16(पार्ट), 193/22, 193/17, 193/18, 193/21(पार्ट), 193/25, 193/26(पार्ट), 193/27, 193/31, 193/32, 193/33(पार्ट), 196(पार्ट), 197 तथा प्रस्तावित खसरा क्रमांक 185/33, 185/37, 185/38, 185/39, 185/40, 185/34, 193/21(पार्ट), 185/24-25(पार्ट), 193/3, 185/5(पार्ट), 193/36(पार्ट), 193/38, 194, 195 एवं 196(पार्ट), कुल क्षेत्रफल—9.951 हेक्टेयर से बढ़ाकर 15.229 हेक्टेयर, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स एवं वेयरहाउसिंग प्रोजेक्ट हेतु कुल बिल्टअप क्षेत्रफल—49,058.62 वर्गमीटर से बढ़ाकर 70,169.20 वर्गमीटर किया जाना है। परियोजना का विनियोग रुपये 17 करोड़ होगा। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 12/04/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 404वीं बैठक दिनांक 20/04/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री संकल्प चतुर्वेदी, मैनेजर एवं पर्यावरण सलाहकार मेसर्स पार्यानियर इन्वायरो लेवोरट्रीज एण्ड कन्सलटेन्ट प्राईवेट लिमिटेड, हैदराबाद की ओर से श्री सुधीर सिंह उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. जारी पर्यावरणीय स्वीकृति -

- पूर्व में राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1054, दिनांक 13/11/2019 द्वारा ग्राम—डुमरतराई, तहसील व जिला—रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 185/6(पार्ट), 193/1, 193/30(पार्ट), 193/4, 193/28, 193/29, 193/36(पार्ट), 193/37, 193/40, 185/15(पार्ट), 185/20(पार्ट), 185/22(पार्ट), 185/35, 192/3, 192/6, 193/6, 193/7, 193/8, 193/9, 193/10, 193/33(पार्ट), 193/11, 193/12, 193/13(पार्ट), 193/14(पार्ट), 193/16(पार्ट), 193/22, 193/17, 193/18, 193/21(पार्ट), 193/25, 193/26(पार्ट), 193/27, 193/31, 193/32, 193/33(पार्ट), 196(पार्ट) एवं 197 में क्षेत्रफल - 95,257.78 वर्गमीटर में कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स एवं लॉजिस्टिक पार्क कुल बिल्टअप क्षेत्रफल - 14,906.99 वर्गमीटर से 49,058.62 वर्गमीटर हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया गया है।

- एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर के ज्ञापन दिनांक 21/12/2020 द्वारा पूर्व में जारी

पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसमें शर्त क्रमांक VII(2) एवं X(7) का आंशिक पालन होना बताया गया है। उक्त के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त शर्तों का पालन पूर्ण (परियोजना स्थल के दक्षिण-पूर्वी दिशा में 250 वर्गमीटर क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य तथा सी.ई.आर. के मद की शशि को व्यय) किया जाना बताया गया है।

2. जल एवं वायु सम्मति -

- क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर द्वारा क्षेत्रफल - 95,301 वर्गमीटर में कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स एवं लॉजिस्टिक पार्क कुल बिल्टअप क्षेत्रफल - 49,058.62 वर्गमीटर हेतु जल एवं वायु सम्मति दिनांक 27/10/2020 को जारी की गई है, जिसकी वैधता 01 वर्ष (First day of month of commissioning of the unit) तक है।
- वर्तमान में स्थापित इकाई हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की गई है।

3. परियोजना के क्षमता विस्तार हेतु 8 ओनर्स यथा (1) मेसर्स सन एण्ड सन इन्फार्मेटिक प्राईवेट लिमिटेड, (2) श्री मनोज कुमार शर्मा, (3) श्री मनीष शर्मा, (4) श्रीमती सरिता देवी शर्मा, (5) श्रीमती रश्मि शर्मा, (6) श्री विनोद शर्मा (7) श्री महेश शर्मा एवं (8) मेसर्स महामाया गृहनिर्माण प्राईवेट लिमिटेड है। उक्त सभी ओनर्स द्वारा शपथ पत्र (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है। पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के आवेदन के दौरान श्री श्याम सुंदर शर्मा ओनर के रूप में थे। वर्तमान में क्षमता विस्तार के तहत श्री श्याम सुंदर शर्मा को ओनर नहीं होना बताया गया है। इस संबंध में श्री श्याम सुंदर शर्मा द्वारा भी शपथ पत्र (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

4. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ऑनलाईन आवेदन करने के दौरान फार्म-1 एवं फार्म-1ए में क्षेत्रफल-9.951 हेक्टेयर का उल्लेख हो जाने के कारण कुल क्षेत्रफल-15.229 हेक्टेयर हो गया है, जबकि क्षेत्रफल-9.951 हेक्टेयर के स्थान पर क्षेत्रफल-9.531 हेक्टेयर होना चाहिए, जिससे कुल क्षेत्रफल-14.809 हेक्टेयर होगा। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त संशोधन किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिती के समक्ष भूमि संबंधी दस्तावेजों एवं उक्त त्रुटि में संशोधन हेतु शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है।

5. निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी -

- निकटतम आबादी डुमरतराई 200 मीटर एवं रेल्वे स्टेशन मंदिर हसौद 8.8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन, माना, रायपुर 5.2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। निकटतम नदी खारुन नदी 8.2 कि.मी. है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अनयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

- भूमि खसरा क्रमांक 185/33, 185/37, 185/38, 185/39, 185/40 सन एण्ड सन इन्फामेटिक प्रा.लि., खसरा क्रमांक 185/34, 193/21(पार्ट) श्री मनोज कुमार, खसरा क्रमांक 185/24-25(पार्ट) श्री मनीष शर्मा, खसरा क्रमांक 185/5(पार्ट), 193/3 श्रीमती सरिता देवी शर्मा एंड श्रीमती रश्मि शर्मा, खसरा क्रमांक 193/16(पार्ट) श्री विनोद शर्मा, खसरा क्रमांक 193/38 मेसर्स महामाया गृहनिर्माण प्रा.लि., खसरा क्रमांक 194, 195, 196(पार्ट) श्री महेश शर्मा के नाम पर है।
6. प्रस्तावित कार्यकलापों की सुविधाओं का उपयोग प्रतिदिन लगभग 750 व्यक्तियों द्वारा किया जाना बताया गया है।
7. एरिया स्टेटमेंट –

S. No.	Particulars	Builtup Area (m ²) as per EC	Builtup Area (m ²) Proposed	Total Area (m ²)
1.	Block - A	5,410.96	-	5,410.96
2.	Block - B	1,486.98	-	1,486.98
3.	Block - B1	6,432.46	-	6,432.46
4.	Block - C	8,179.49	-	8,179.49
5.	Block - D	2,683.24	-	2,683.24
6.	Block - D1	8,587.54	-	8,587.54
7.	Block - E	13,420.01 (Commercial)	-	13,420.01 (Commercial)
8.	Block - F	1,270.06	-	1,270.06
9.	Block - G	354.06	-	354.06
10.	Block - H	1,231.82	21,112.58 (Commercial)	23,344.4
	Total Area	49,056.62	21,112.58	70,169.20

प्रस्तावित उपरांत (Proposed Expansion) –

S. No.	Particulars	Area (m ²) as per EC	Area (m ²) Proposed	Total Area (m ²)
A.	Total land area	95,310	52,781.45	1,48,091.45
B.	Area under road (Raipur - Abhanpur road)	2,052.22	-	2,052.22
C.	Ground coverage	38,355.48	21,112.58	59,468.06
D.	Open area	9,526.56	5,278.14	14,804.70
E.	Road area	34,899.24	23,643.23	58,542.47
F.	Parking area	10,476.50	2,747.50	13,224.00

8. विकास अनुज्ञा – अपर संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 12214/नग्रानि/धारा-29/पीएल-83/2021 रायपुर दिनांक 01/10/2021 द्वारा मेसर्स सन एण्ड सन इन्फामेटिक प्राईवेट लिमिटेड द्वारा ओपन मॉल/वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु विकास अनुज्ञा जारी किया गया है।

9. **वायु प्रदूषण नियंत्रण** – निर्माण के दौरान उत्पन्न फ्युजिटिव डस्ट के नियंत्रण हेतु ग्रीन नेट से ढक कर निर्माण किया जाएगा एवं नियमित जल छिड़काव किया जाएगा।
10. **ठोस अपशिष्ट प्रबंधन** – परियोजना के विकासोपरांत ठोस अपशिष्ट के संग्रहण हेतु धी बिन पद्धति अपनायी जाएगी। परियोजना से उत्पन्न कुल ठोस अपशिष्ट की मात्रा 187.5 किलोग्राम प्रतिदिन एवं हार्डिक्लचर अपशिष्ट की मात्रा 0.526 किलोग्राम प्रतिदिन होगी। एकत्रित अपशिष्ट को अपवहन हेतु रायपुर नगर निगम को उपलब्ध कराया जाएगा एवं हार्डिक्लचर अपशिष्ट को संग्रहित कर खाद के रूप उपयोग किया जाएगा।
11. **जल प्रबंधन व्यवस्था** –

- **जल खपत एवं स्रोत** – वर्तमान में परियोजना हेतु कुल 23.4 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 14.4 घनमीटर प्रतिदिन एवं फलशिंग हेतु 9 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाता है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत कुल 29.25 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 18 घनमीटर प्रतिदिन एवं फलशिंग हेतु 11.25 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। आवश्यक जल की आपूर्ति मू-जल एवं नगर पालिक निगम, रायपुर द्वारा की जाती है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत भी यही व्यवस्था रखी जाएगी। आवश्यक जल की आपूर्ति हेतु सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी (9.5 घनमीटर प्रतिदिन) से अनुमति ली गई है एवं नगर पालिक निगम, रायपुर को नये नल कनेक्शन करवाने बाबत आवेदन किया गया है, जो प्रक्रियाधीन है।
- **जल प्रदूषण नियंत्रण** – उत्पन्न दूषित जल की मात्रा 25.65 घनमीटर प्रतिदिन होगा। दूषित जल के उपचार हेतु एमबीबीआर तकनीक आधारित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता 35 घनमीटर प्रतिदिन स्थापित किया जाएगा। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंतर्गत रॉ-सीवेज स्क्रीनिंग, ऑयल एण्ड ग्रीस ट्रेप, इविवेलाइजेशन टैंक, एमबीबी रिक्टर, द्यूब सेटलर, स्लज कलेक्शन टैंक, सर्ज टैंक, प्रेसर सेण्ड फिल्टर, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर एवं फाईनल कलेक्शन आदि स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। उपचारित दूषित जल की मात्रा 22.65 घनमीटर प्रतिदिन होगी। उपचारित दूषित जल को डिसइन्फेक्शन कर उद्यानिकी हेतु उपयोग किया जाएगा। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से उत्पन्न स्लज की मात्रा 3 घनमीटर प्रतिदिन होगी, जिसका उपयोग खाद बनाने के लिए किया जाएगा।
- **मू-जल उपयोग प्रबंधन** – स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार क्वांटिफिकल जोन में आता है। जिसके अनुसार-
 - (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।
 - (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर मू-जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः परियोजना में रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।
- **रेन वाटर हार्वेस्टिंग** – प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत परिसर में वर्षा के पानी का कुल रनऑफ 34,875 घनमीटर है। वर्तमान में रेन वाटर हार्वेस्टिंग

व्यवस्था के अंतर्गत 24 नग रिचार्ज पिट (व्यास 3 मीटर एवं गहराई 5 मीटर) निर्मित किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत अतिरिक्त 4 नग रिचार्ज पिट (व्यास 5 मीटर एवं गहराई 5 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किये गये कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके।

12. **विद्युत खपत** – परियोजना में 2,400 के.व्ही.ए. विद्युत खपत होगी। विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से की जाएगी। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 250 के.व्ही.ए. का डी.जी. सेट स्थापित किया जाएगा।
13. **वृक्षारोपण की स्थिति** – हरित पट्टिका का विकास 8,181.88 वर्गमीटर (कुल क्षेत्रफल का 15.5 प्रतिशत) में किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही बफर जोन 2,449.84 वर्गमीटर क्षेत्र में 9 मीटर की चौड़ाई में अतिरिक्त वृक्षारोपण कार्य किया जायेगा। इस प्रकार कुल 10,631.72 वर्गमीटर क्षेत्र (कुल क्षेत्रफल का 20.14 प्रतिशत) में वृक्षारोपण कार्य किया जाना प्रस्तावित है।
14. **ऊर्जा संरक्षण उपाय** – आंतरिक स्थानों (लॉबी एवं कॉमर्शियल एरिया) पर एल.ई.डी. लाइट प्रयुक्त किया गया है। पाथ-वे में सोलर एल.ई.डी. लाइटिंग सिस्टम प्रस्तावित है। कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग की छत में सोलर पैनल की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है।
15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – सी.ई.आर. के अंतर्गत क्षमता विस्तार के तहत कुल लागत राशि 17,00,00,000 रुपये का 1 प्रतिशत राशि 17,00,000 रुपये को छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम (Forest Development Corporation) में जमा किये जाने हेतु शपथ पत्र (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत ग्राम-डुमरतराई, तहसील व जिला-रायपुर स्थित वर्तमान में खसरा क्रमांक 185/8(पार्ट), 193/1, 193/30(पार्ट), 193/4, 193/28, 193/29, 193/36(पार्ट), 193/37, 193/40, 185/15(पार्ट), 185/20(पार्ट), 185/22(पार्ट), 185/35, 192/6, 193/6, 193/7, 193/8, 193/9, 193/10, 193/33(पार्ट), 193/11, 193/12, 193/13(पार्ट), 193/14(पार्ट), 193/16(पार्ट), 193/22, 193/17, 193/18, 193/21(पार्ट), 193/25, 193/26(पार्ट), 193/27, 193/31, 193/32, 193/33(पार्ट), 196(पार्ट), 197 तथा प्रस्तावित खसरा क्रमांक 185/33, 185/37, 185/38, 185/39, 185/40, 185/34, 193/21(पार्ट), 185/24-25(पार्ट), 193/3, 185/5(पार्ट), 193/36(पार्ट), 193/38, 194, 195 एवं 196(पार्ट), कुल क्षेत्रफल-9.531 हेक्टेयर से बढ़ाकर 14.809 हेक्टेयर, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स एवं वेयरहाउसिंग प्रोजेक्ट हेतु कुल बिल्टअप क्षेत्रफल-49,056.62 वर्गमीटर से बढ़ाकर 70,169.20 वर्गमीटर हेतु परिशिष्ट-03 में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुरांसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

8. मेसर्स एनएमडीसी लिमिटेड, बैलाडीला आयसन और माईन, किरन्दुल कॉम्प्लेक्स, ग्राम-किरन्दुल, तहसील-दन्तेवाड़ा, जिला-दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1895)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएस/ 248317/2021, दिनांक 30/12/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम-किरन्दुल, तहसील-दन्तेवाड़ा, जिला-दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा स्थित खसरा क्रमांक 12, 13, 233 एवं फॉरेस्ट कम्पार्टमेंट नंबर 1860 (वन क्षेत्र 0.37 हेक्टेयर) में प्रस्तावित मल्टीस्टोरी रेसीडेंशियल कॉम्प्लेक्स का कुल लेण्ड एरिया - 61,689.21 वर्गमीटर, कुल बिल्टअप क्षेत्रफल-77,437.18 वर्गमीटर है। परियोजना का विनियोग रुपये 218 करोड़ होगा।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 12/04/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 404वीं बैठक दिनांक 20/04/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री जे.ए. कमलाकर, डी.जी.एम. (पर्यावरण), एम. जयपाल रेड्डी, सी. जी.एम., (आर.पी.) ए.जी. श्रीनिवास डी.जी.एम. (सीविल) उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी -

- निकटतम ग्राम-किरन्दुल एवं शहर दन्तेवाड़ा 30 कि.मी. रेलवे स्टेशन किरन्दुल 1.35 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। मॉ दन्तेश्वरी एयरपोर्ट जगदलपुर 120 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राज्यमार्ग 7.38 कि.मी. दूर है। कोयर नदी 2.59 कि.मी. एवं मलांगर नदी 8.32 कि.मी. दूर है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

2. खसरा संबंधी विवरण -

- खसरा क्रमांक 12 एवं 233 हेतु राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, किरन्दुल का किस्तान किताब की प्रति प्रस्तुत किया गया है।
- कलेक्टर के आदेशानुसार दिनांक 29/10/2014 को ग्राम-किरन्दुल में डी.वी. के. रेलवे एवं एनएमडीसी किरन्दुल परियोजना के द्वारा अधिग्रहित भूमि का सर्वेक्षण किया गया है। अतः पूर्व तट रेलवे, किरन्दुल के पंचनामा अनुसार खसरा क्रमांक 13 एवं अन्य में रेलवे की पटरी बिछी हुई है, जिसका उपयोग एनएमडीसी द्वारा किया जा रहा है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा वन कक्ष क्रमांक 1860 का कुल क्षेत्रफल नहीं बताया गया है। परंतु यह बताया गया है कि उक्त वन कक्ष क्रमांक 1860 का क्षेत्रफल 0.37 हेक्टेयर भवन निर्माण में उपयोग किया जाएगा। किसी भी वन भूमि में गैर यानिकी आयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत

नियमानुसार पूर्व अनुमति आवश्यक होती है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वन कक्ष क्रमांक 1860 के गैर वानिकी कार्य में उपयोग हेतु पूर्व अनुमति की जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. लीज संबंधी विवरण -

- पूर्व में मेसर्स एनएमडीसी लिमिटेड के पक्ष में मध्यप्रदेश शासन के आदेश दिनांक 20/04/1965 द्वारा 30 वर्ष की अवधि के लिए बैलाडीला डिपोजिट नं. 14 के कुल रकबा 546.882 हेक्टेयर क्षेत्र पर खनिज लौह अयस्क का खनि पट्टा स्वीकृत किया गया था। तत्पश्चात् मेसर्स एनएमडीसी लिमिटेड के प्रथम नवीनीकरण आवेदन दिनांक 01/09/1993 के परिपेक्ष्य में निगम द्वारा वन विभाग का समर्पित क्षेत्र 40.140 को छोड़कर शेष 506.742 हेक्टेयर क्षेत्र को शासन के आदेश क्रमांक एफ 3-124/94/12/2, दिनांक 29/06/2002 द्वारा 20 वर्ष हेतु खनिपट्टा का प्रथम नवीनीकरण की स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसकी अवधि दिनांक 07/12/1995 से 06/12/2015 तक थी।
 - अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के झापन क्रमांक एफ 4-41/2018/12 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 17/12/2019 द्वारा मेसर्स एनएमडीसी लिमिटेड, डिपोजिट नं. 14 के कुल रकबा 506.742 हेक्टेयर क्षेत्र पर खनिज आयरन ओर का स्वीकृत खनि पट्टा के द्वितीय नवीनीकरण 20 वर्ष के लिए यथा दिनांक 07/12/2015 से 06/12/2035 तक की अवधि हेतु जारी की गई है।
 - लीज विस्तारीकरण के संबंध में अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के झापन क्रमांक एफ-5-10/2016/10-2 नवा रायपुर, दिनांक 31/03/2020 द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़, अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर को "Extension of validity of Forest clearance for Deposit-14 NMZ Mining Lease 506.742 ha Forest Land in Dantewada Forest Division of South Baster Dantewada District, C.G." हेतु जारी पत्र अनुसार "वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत खनिज लौह अयस्क उत्खनन की खनन संबंधी गैर वानिकी कार्य के अनुमति की समयावधि को माईनिंग लीज के अवधि के समानांतर दिनांक 06/12/2035 तक समयवृद्धि" किया गया है।
4. वर्तमान में प्रस्तावित रेसीडेंशियल हेतु अतिरिक्त क्षेत्र प्रस्तावित नहीं किया गया है। प्रस्तावित रेसीडेंशियल टॉवर (टाईप-V) क्षेत्रफल 0.789 हेक्टेयर में पूर्व से निर्मित 16 क्वार्टर्स को डिसमेंटल कर उसी क्षेत्र में मोनोलिथिक टॉवर्स (मोनोलिथिक वॉल एवं स्लैब) निर्माण कार्य किया जायेगा। पूर्व से ही क्षेत्रफल 0.789 हेक्टेयर एनएमडीसी, किरन्दुल प्रोजेक्ट की (under possession) है एवं वन कक्ष क्रमांक 1860 फॉरेस्ट कम्पार्टमेंट है तथा खसरा क्रमांक 233 (राजस्व भूमि) के अंतर्गत आता है।

5. क्वार्टर टाईप की जानकारी -

Quarters	No. of units	No. of towers	No. of floors	No. of units in each floor of each tower	Area of each unit in sq.ft
Type - III	200	5	Stilt + 10	4	1211

Type - IV	144	3	Stilt + 8	6	1490
Type - V	21	1	Stilt + 7	3	1995
Total	365	9			

6. लेण्ड एरिया स्टेटमेंट -

Particulars	Area (SQ. M.)	Area (%)	Area (SQ. M.)	Area (%)	Area (SQ. M.)	Area (%)
	Type-III		Type-IV		Type-V	
Plinth Area	3,357.52	13.64	3,938.72	13.49	730.67	9.26
Green Belt Area	2,940.48	11.95	3,100	10.61	1,414.52	17.93
Internal Road Area	8,014	32.57	9,754.7	33.4	1,183.08	15
Open Area	4,510	18.36	9,700	33.23	2,274.9	28.9
Other Area (Service Area/Parking Area/Paved & Pathway)	5,778	23.48	2,709	9.27	2,282.9	28.91
Total Net Plot Area	24,600	100	29,202.42	100	7,886.79	100
Total Land Area (Type-III + Type-IV + Type-V)	61,689.21					

7. बिल्टअप एरिया स्टेटमेंट -

	Type-III					
	Tower-3A	Tower-3B	Tower-3C	Tower-3D	Tower-3E	Cafeteria
No. of Flats	200					
Ground / Stilt Floor	608.77	608.77	608.77	608.77	608.77	400.40
Floor-1	626.47	626.47	626.47	626.47	626.47	400.40
Floor-2	626.47	626.47	626.47	626.47	626.47	-
Floor-3	626.47	626.47	626.47	626.47	626.47	-
Floor-4	626.47	626.47	626.47	626.47	626.47	-
Floor-5	626.47	626.47	626.47	626.47	626.47	-
Floor-6	626.47	626.47	626.47	626.47	626.47	-
Floor-7	626.47	626.47	626.47	626.47	626.47	-
Floor-8	626.47	626.47	626.47	626.47	626.47	-
Floor-9	626.47	626.47	626.47	626.47	626.47	-
Floor-10	626.47	626.47	626.47	626.47	626.47	-
Total	6,873.47	6,873.47	6,873.47	6,873.47	6,873.47	800.80
Sub Total	35,168.15					

	Type-IV		
	Tower-4A	Tower-4B	Tower-4C
No. of Flats	144		

Ground / Still Floor	1,461.93	1,461.93	1,461.93
Floor-1	1,314.67	1,314.67	1,314.67
Floor-2	1,314.67	1,314.67	1,314.67
Floor-3	1,314.67	1,314.67	1,314.67
Floor-4	1,314.67	1,314.67	1,314.67
Floor-5	1,314.67	1,314.67	1,314.67
Floor-6	1,314.67	1,314.67	1,314.67
Floor-7	1,314.67	1,314.67	1,314.67
Floor-8	1,314.67	1,314.67	1,314.67
Total	11,979.29	11,979.29	11,979.29
Sub Total		35,937.87	

Type-V	
No. of Flats	21
Ground / Still Floor	914.00
Floor-1	773.88
Floor-2	773.88
Floor-3	773.88
Floor-4	773.88
Floor-5	773.88
Floor-6	773.88
Floor-7	773.88
Total	6,331.16

Total Builtup Area	
Type-III	35,168.15
Type-IV	35,937.87
Type-V	6,331.16
All Total	77,437.18

8. प्रस्तावित कार्यकलापों की सुविधाओं के उपयोग हेतु अनुमानित कुल 2,461 व्यक्तियों द्वारा किया जाना बताया गया है।
9. वायु प्रदूषण नियंत्रण – निर्माण के दौरान उत्पन्न पयुजिटिव डस्ट के नियंत्रण हेतु ग्रीन नेट से ढक कर निर्माण कार्य किया जाएगा एवं नियमित जल छिड़काव किया जाएगा।
10. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन – ब्रोकन ब्रिक्स, ब्रोकन टाईल्स, स्टोन स्लेग, टिम्बर आदि का उपयोग रोड निर्माण कार्य, पुनः उपयोग, लेवलिंग आदि अन्य कार्यों में उपयोग किया जाएगा। परियोजना के विकासोपरांत ठोस अपशिष्ट के संग्रहण हेतु धी बिन पद्धति अपनायी जाएगी। परियोजना से उत्पन्न कुल ठोस अपशिष्ट की मात्रा 2,529.57 किलोग्राम प्रतिदिन (वेट अपशिष्ट 1,517.74 किलोग्राम प्रतिदिन एवं रिसाईक्लेबल अपशिष्ट 758.87 किलोग्राम प्रतिदिन एवं इनर्ट 252.96 किलोग्राम प्रतिदिन) होगी। उत्पन्न ठोस अपशिष्टों को वेट एवं रिसाईक्लेबल के अनुसार संग्रहित किया जाएगा। रिसाईक्लेबल अपशिष्टों को अधिकृत वेण्डर्स को विक्रय किया जाएगा। एकत्रित अपशिष्ट को अपवहन हेतु नगरपालिक परिसर, किरन्दुल को उपलब्ध कराया जाएगा।
11. जल प्रबंधन व्यवस्था –

- **जल खपत एवं स्रोत** – परियोजना में ऑपरेशन फेज हेतु 301 घनमीटर प्रतिदिन (फेश वॉटर हेतु 295.35 घनमीटर प्रतिदिन एवं अन्य वॉटर हेतु 5.64 घनमीटर प्रतिदिन) जल का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। जल की आपूर्ति नगर पालिका (Municipal Water Supply) द्वारा की जाएगी। परियोजना में कन्स्ट्रक्शन फेज हेतु जल की मात्रा, आपूर्ति स्रोत एवं माध्यम की जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही ऑपरेशन फेज हेतु जल की आपूर्ति स्रोत एवं माध्यम की जानकारी/दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किया गया है।
 - **जल प्रदूषण नियंत्रण** – उत्पन्न दूषित जल की मात्रा 255.85 घनमीटर प्रतिदिन होगा। दूषित जल के उपचार हेतु एसबीआर तकनीक आधारित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता 3 एमएलडी स्थापित किया जाएगा। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंतर्गत बार स्क्रीन, ऑयल एण्ड ग्रीस ट्रेप, इविलेलाइजेशन टैंक, एमबीबी रिएक्टर, सेण्ड फिल्टर, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर, स्लज होल्डिंग टैंक एवं प्रेसर सेण्ड फिल्टर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। उपचारित दूषित जल को डिसइन्फेक्शन कर उद्यानिकी हेतु उपयोग किया जाएगा। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से उत्पन्न स्लज का उपयोग खाद बनाने के लिए किया जाएगा।
 - **भू-जल उपयोग प्रबंधन** – परियोजना स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेफ जोन में आता है। जिसके अनुसार-
 - (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 40 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।
 - (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू-जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।
 - **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग** – रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 9 नग रिचार्ज स्ट्रक्चर्स (व्यास 1.2 मीटर एवं गहराई 2.4 मीटर) निर्मित किया जाएगा। समिति का मत है कि प्रस्तावित परियोजना में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था की विस्तृत गणना (कुल रनऑफ की मात्रा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्थाओं पिट्स का विवरण, नंबर एवं साईज सहित) कर ले-आउट में दर्शाते हुये प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
12. **विद्युत आपूर्ति स्रोत** – कन्स्ट्रक्शन फेज हेतु 100 के.वी.ए. एवं ऑपरेशनल फेज हेतु 1,105 के.वी.ए. विद्युत खपत होगी। विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से की जाएगी। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 2 नग 250 के.वी.ए. एवं 1 नग 160 के.वी.ए. का डी.जी. सेट स्थापित किया जाएगा। सी.पी.सी.बी. द्वारा निर्धारित ऊंचाई की चिमनी का निर्माण किया जाएगा।
 13. **वृक्षारोपण संबंधी विवरण** – हरित पट्टिका के विकास प्रस्तुत ले-आउट के अनुसार कुल क्षेत्रफल के 7,455 वर्गमीटर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है।

14. ऊर्जा संरक्षण उपाय - आंतरिक स्थानों पर एल.ई.डी. लाईट प्रयुक्त किया जाना प्रस्तावित है। लेण्ड स्कीपिंग एवं ड्राईव-वे में सोलर एल.ई.डी. लाईटिंग सिस्टम प्रस्तावित है।
15. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से घर्षा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
21800	2% (for 100 crore) + 1.5% (for 118 crore)	377	Following activities at	
			Solar Equipment fittings for Kadampal and Kodanar Gram Panchayat	15.0
			Hand pumps with Solar Panel and distribution of water pipeline at Sukru camp near Kirandul	23.0
			Development of lake near Bengali camp, Kirandul	40.0
			Renovation of Government Middle School (Naveen Madhyamika Vidyalaya), Kirandul	125.0
			Plantation along Gaurav Path Road, Kirandul	130.0
			Construction of RCC retaining wall, repair of existing drains and construction of new drains at sinha camp etc. near Kirandul	44.0
Total			377.0	

समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार

परियोजना के कुल लागत का 100 करोड़ तक के लिए 2 प्रतिशत एवं 100 करोड़ से 500 करोड़ तक के लिए 1.5 प्रतिशत व्यय किये जाने का प्रावधान है। आवेदित परियोजना हेतु ओ.एम. के अनुसार सी.ई.आर. के तहत 3.77 करोड़ व्यय किया जाना होगा। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के प्रस्ताव को समिति द्वारा अमान्य किया गया। समिति का मत है कि परियोजना हेतु सी.ई.आर. के तहत व्यय राशि अत्यधिक होने के कारण सी.ई.आर. की राशि (कुल राशि 3,77,00,000 रुपये) को छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम (Forest Development Corporation) में जमा किये जाने हेतु शपथ पत्र (Undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. वन कक्ष क्रमांक 1860 का कुल क्षेत्रफल संबंधी जानकारी तथा वन कक्ष क्रमांक 1860 के गैर वानिकी कार्य में उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत पूर्व अनुमति की जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
2. परियोजना में कन्सट्रक्शन फेज हेतु जल की मात्रा, आपूर्ति स्रोत एवं माध्यम की जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए। साथ ही ऑपरेशन फेज हेतु जल की आपूर्ति स्रोत एवं माध्यम की जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
3. प्रस्तावित परियोजना में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था की विस्तृत गणना (कुल रनऑफ की मात्रा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्थाओं पिट्स का विवरण, नंबर एवं साईज सहित) कर ले-आउट में दर्शाते हुये प्रस्तुत किया जाए।
4. सी.ई.आर. के तहत व्यय राशि (कुल राशि 3,77,00,000 रुपये) को छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम (Forest Development Corporation) में जमा किये जाने हेतु शपथ पत्र (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

9. मेसर्स भाटपाल सेण्ड माईन (प्रो.- श्री शुक्र कुमार निषाद), ग्राम-भाटपाल, तहसील व जिला-नारायणपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1899)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 248414/2021, दिनांक 31/12/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम-भाटपाल, तहसील व जिला-नारायणपुर स्थित खसरा क्रमांक 581, कुल क्षेत्रफल - 4.9 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन छेरीबेड़ा नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 98,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 12/04/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 404वीं बैठक दिनांक 20/04/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री शुक्र कुमार निषाद, प्रोपराईटर एवं श्री सोमेश्वर सिन्हा, खनि निरीक्षक उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत भाटपाल का दिनांक 21/02/2021 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. चिन्हांकित/सीमांकित - कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।
4. उत्खनन योजना - क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 900/खनिज/उत्ख.यो.अनु./रेत/2021-22 कांकेर, दिनांक 07/12/2021 द्वारा अनुमोदित है।
5. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-नारायणपुर के ज्ञापन क्रमांक 452/खनिज/रेत खदान/ख.लि./2021-22 नारायणपुर, दिनांक 25/11/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।
6. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-नारायणपुर के ज्ञापन क्रमांक 453/खनिज/रेत खदान/ख.लि./2021-22 नारायणपुर, दिनांक 25/11/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, पुल, बांध, स्कूल, अस्पताल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, मरघट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
7. एल.ओ.आई. का विवरण - एल.ओ.आई. श्री शुक्र कुमार निषाद के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-नारायणपुर के ज्ञापन क्रमांक 392/खनिज/ख.लि./रेत नीलामी/2021-22 नारायणपुर, दिनांक 30/10/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह हेतु वैध है।
8. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र - कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, नारायणपुर वनमण्डल, जिला-नारायणपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.वि./2449 नारायणपुर, दिनांक 29/05/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 2 कि.मी. की दूरी पर है।
9. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आबादी ग्राम-खारगांव 1.52 कि.मी., स्कूल ग्राम-भाटपाल 2 कि.मी. एवं अस्पताल नारायणपुर 25 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 124 मीटर एवं राज्यमार्ग 13.39 कि.मी. दूर है।
11. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय

संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 90 मीटर, न्यूनतम 80 मीटर तथा खनन स्थल की औसत लंबाई – 1,150 मीटर एवं खनन स्थल की चौड़ाई – अधिकतम 54 मीटर, न्यूनतम 30 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से न्यूनतम 10 मीटर है।
13. खदान स्थल पर रेत की मोटाई – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 2 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 98,000 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 5 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत गहराई 3 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंघनाना प्रस्तुत किया गया है।
14. खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवलस – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवलस (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये। इसके अतिरिक्त खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का भी सर्वे किया जाये। उक्त लेवलस (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्पररी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्पररी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल., को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जाये। ग्रिड मैप में टेम्पररी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफस सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
15. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत ग्राम-भाटपाल के खसरा क्रमांक 581, क्षेत्रफल 4.9 हेक्टेयर, जो वन भूमि (वन कक्ष क्रमांक-पी 2316) के अंतर्गत है। सी.ई.आर. कार्य के लिए वन भूमि में वृक्षारोपण एवं रख-रखाव का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही समिति का मत है कि नदी के पाट में वृक्षारोपण किये जाने की दशा में बाढ़ की सीमा (Flood level) को ध्यान में रखते हुये नदी के किनारे वृक्षारोपण (River Bank) किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवलस (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये। इसके अतिरिक्त खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का भी सर्वे किया जाये। उक्त लेवलस (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्पररी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्पररी बेंच मार्क (TBM) में आर.



एल. को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जाये। गिड मैप में टेम्पररी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफस सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।

2. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत गैर वन भूमि में वृक्षारोपण एवं रख-रखाव का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए। साथ ही नदी के घाट में वृक्षारोपण किये जाने की दशा में बाढ़ की सीमा (Flood level) को ध्यान में रखते हुये नदी के किनारे वृक्षारोपण (River Bank) हेतु विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

10. मेसर्स श्री हेमंत साहू, ब्रिक अर्थ माईन, ग्राम-घिघेसरा, तहसील व जिला-मुंगेली (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1900)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 246490/2021, दिनांक 31/12/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं फिक्स चिमनी ईट उत्पादन इकाई है। खदान ग्राम-घिघेसरा, तहसील व जिला-मुंगेली स्थित खसरा क्रमांक 147/1 एवं 148, कुल क्षेत्रफल-2.023 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 4,985 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 12/04/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 404वीं बैठक दिनांक 20/04/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री बलराम बैस, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-

- i. पूर्व में मिट्टी खदान खसरा क्रमांक 147/1 एवं 148, कुल क्षेत्रफल - 2.023 हेक्टेयर, क्षमता - 4,985 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला-मुंगेली द्वारा दिनांक 04/01/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गई।
- ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
- iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।
- iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 1362/खलि.02/2021 मुंगेली, दिनांक 26/07/2021 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
04/01/2017 से 31/03/2017	-
01/04/2017 से 31/03/2018	767.7
01/04/2018 से 31/03/2019	746.7
01/04/2019 से 31/03/2020	1,046.78
01/04/2020 से 31/03/2021	440

- ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत भरुहागुड़ा का दिनांक 25/12/2011 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- उत्खनन योजना - क्वारी प्लान एलॉग विथ क्वारी क्लोजर प्लान एण्ड इन्व्हारोमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि प्रशासन), जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक/1285/ख.लि/तीन-1/2016 बलौदाबाजार, दिनांक 04/11/2016 द्वारा अनुमोदित है।
- 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक/1362/खलि-03/2021 मुंगेली, दिनांक 26/07/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
- 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक/1362/खलि-03/2021 मुंगेली, दिनांक 26/07/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे रेल लाईन, नहर, भवन, धार्मिक स्थल, मरघट, स्कूल, पुल, कलवर्ट, बांध, नल जल योजना एवं राष्ट्रीय राजमार्ग आबादी क्षेत्र, अस्पताल, आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
- लीज का विवरण - लीज श्री हेमन्त साहू के नाम पर है। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 23/08/2012 से 22/08/2022 तक की अवधि हेतु वैध है।
- भू-स्वामित्व - भूमि खसरा क्रमांक 147/1 आवेदक एवं खसरा क्रमांक 148 श्रीमती रामप्यारी के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
- वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र - कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, बिलासपुर वनमण्डल, जिला-बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./2137 दिनांक 08/05/2012 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आबादी ग्राम-बेबेसरा 150 मीटर, स्कूल ग्राम-बेबेसरा 200 मीटर एवं अस्पताल-बेबेसरा 250 मीटर की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3.77 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 3.77 कि.मी. दूर है। आगर नदी 50 मीटर दूर है।
- पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय

16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के अंतर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार "पवित्र वन" के तहत (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 14,200 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 65,400 रुपये, खाद के लिए राशि 1,780 रुपये, सिंचाई एवं रख-रखाव के लिए राशि 2,22,920 रुपये, इस प्रकार कुल राशि 3,04,300 रुपये प्रथम वर्ष हेतु एवं कुल राशि 5,71,884 रुपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत भरुहागुड़ा के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 147/1 एवं 148, क्षेत्रफल 0.49 हेक्टेयर) पर रोपण करने के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

17. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बैंक, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है—

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

- कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक/1362/खलि-03/2021 मुंगेली, दिनांक 26/07/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम-बिचेसरा) का रकबा 2.023 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।
- समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक - मेसर्स श्री हेमंत साहू, ब्रिक अर्थ माईन की ग्राम-बिचेसरा, तहसील व जिला-मुंगेली के खसरा क्रमांक 147/1 एवं 148 में स्थित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-2.023 हेक्टेयर, क्षमता - 4,985 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु परिशिष्ट-04 में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।


(कलदियुस तिर्की)
सदस्य सचिव

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
छत्तीसगढ़


(डॉ. बी.पी. नोन्हारे)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
छत्तीसगढ़

— मेसर्स नगझर लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.— श्री लोकेश चन्दा)

को खसरा क्रमांक 211/1, 204/4, 229 शामिल 6, 224/3, 212/3, 212/2, 224/2, 227/3, 224/1, 227/2, 199/1, 204/1, 225 शामिल 4, 211/2, 226/2 शामिल 3, 227/1 शामिल 3, 227/4, 228/1, 205/5, 205/3, 205/4 एवं 205/1, कुल लीज क्षेत्र 1.488 हेक्टेयर, ग्राम—नगझर, तहसील—मालखरौदा, जिला—जांजगीर—चांपा में चूना पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन — 20,396 टन (8,158 घनमीटर) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 1.488 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से चूना पत्थर का अधिकतम उत्खनन 20,396 टन (8,158 घनमीटर) प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।
2. खदान के चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में आगामी मानसून अवधि में 5 फीट ऊंचाई के उपयुक्त प्रजाति के पौधों का रोपण पश्चात् फोटोग्राफ्स एवं विडियोग्राफी सहित तथा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन पूर्ण पालन कर पालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ्स सहित 6 माह के भीतर प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में वर्तमान में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को स्वतः निरस्त माना जाएगा।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए।
4. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत रहेगी।
5. उत्खनन करने के पूर्व आवेदक, क्षेत्र में उपलब्ध मिट्टी 2,217.5 घनमीटर को सीमा पट्टी 6,010 वर्गमीटर में आवश्यकतानुसार भण्डारण करने के उपरांत अवशेष मिट्टी के भण्डारण हेतु सक्षम प्राधिकारी से विधिवत् अनुमति प्राप्त की जाए तथा अनुमति की प्रति एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रेषित की जाए।
6. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
7. खनि पट्टा धारक खान संचालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री-ग्रासिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा,

जिससे यह चारा, वनस्पतियों, जीवों आदि के उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।

8. भू-जल के उपयोग (यदि किया जाता हो तो) हेतु केन्द्रीय भू-जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्ति की जाए।
9. किसी चिमनी / वेंट / प्वाइंट सोर्स से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। क्रशर, स्क्रीन, ट्रांसफर प्वाइंट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का बैग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न प्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं डस्ट कंटेन्मेंट कम सप्रेसन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इसका सतत संचालन / संचारण सुनिश्चित किया जाए। विण्ड ब्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।
10. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
11. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की घौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का डंप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए।
12. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाइज) करने में किया जाए। जहाँ पर ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को खनन प्रक्रिया के साथ-साथ (कॉनकरेंटली) उपयोग किया जाना संभव न हो, तब इसे पृथक से भण्डारित कर भविष्य में उपयोग हेतु रखा जाए।
13. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी / बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से चिह्नित स्थल पर भण्डारित किया जायेगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जाएं ताकि भण्डारित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विपरित प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊंचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।
14. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी / बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के पश्चात बने गड्ढों में पुनःभरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस-पास के सतही जल स्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा डम्प क्षेत्र में रिटेंनिंग वॉल / गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।
16. खनिज का परिवहन मेकनेकली कवर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

17. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
25.54	2%	0.52	Following activities at, Government Primary School, Village- Nagjhar	
			Potable Drinking water facility	0.25
			Distribution of environment related book	0.20
			Plantation with fancing	0.12
Total			0.57	

18. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित स्कूल के प्राचार्य से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। साथ ही जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत आपके द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।
19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत स्कूल के परिसर में पौधे, खाद एवं सिंचाई के लिए राशि 5,000 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 7,500 रुपये इस प्रकार कुल राशि 12,500 रुपये घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।
20. उपरोक्त सी.ई.आर. कार्य के अतिरिक्त ग्राम-नगझर के तालाब के चारों तरफ आम के विभिन्न प्रजातियों का रोपण हेतु, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार तालाब के परिसर में 150 नग पौधों के लिए राशि 15,000 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 30,000 रुपये, खाद के लिए राशि 7,500 रुपये, रख-रखाव के लिए राशि 80,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 1,32,500 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 3,50,000 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए।
21. उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 1,200 वृक्षों का सघन वृक्षारोपण किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।
22. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2022-23 में कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू,

आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 250 पौधों का रोपण (कुल 1,200 पौधे) खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा विन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।

23. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये फोटोग्राफ्स सहित जानकारी पालन प्रतिवेदन के साथ जमा करें।
24. वृक्षारोपण का रख-रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
25. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।
26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मफ आदि प्रदान किए जाएं एवं समय-समय पर चिकित्सकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।
27. सक्षम प्राधिकारी / डी.जी.एम.एस. से अनुमति उपरांत सुरक्षित एवं नियंत्रित विधि से कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाए। पत्थर के छोटे-छोटे टुकड़ों (फ्लाइ रॉक्स) को उड़ने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सक्षम व्यवस्था किया जाए। वेट ड्रिलिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था आधारित ड्रिलिंग किया जाए, जिससे डस्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।
28. उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के उपर असंतुप्त प्रभाग में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
29. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।
30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।
31. कार्य स्थल पर यदि कैम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।
32. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
33. श्रमिकों का समय-समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।
34. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी

प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

35. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
36. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्साव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
37. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस. ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।
38. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, बिलासपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
39. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
40. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर / केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।
41. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
42. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर



विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके।
खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण,
वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं
किया जाए।

43. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय
कार्यालय, जिला-व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30
दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।
44. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के सम्मुख, नेशनल ग्रीन
ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय
अवधि में की जा सकेगी।


सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.


अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

मेसर्स नगझर डोलोमाईट क्वारी (प्रो.- श्री लोकेश चन्दा)

को खसरा क्रमांक 65/3, 74, 77/2, 65/2, 76/2, 72, 69/2 शामिल 70/2, 69/1 शामिल 70/1, 67, 76/3, 76/4, 76/5, 76/1, 68/1, 68/2, 64/3, 64/12, 64/11, 65/1, 73, 65/4, 66 एवं 77/1, कुल लीज क्षेत्र 4, 587 हेक्टेयर, ग्राम-नगझर, तहसील-मालखरीदा, जिला-जांजगीर-चांपा में चूना पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन - 2,00,337 टन (77,052 घनमीटर) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 4.587 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से चूना पत्थर का अधिकतम उत्खनन 2,00,337 टन (77,052 घनमीटर) प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।
2. खदान के चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में आगामी मानसून अवधि में 5 फीट ऊंचाई के उपयुक्त प्रजाति के पौधों का रोपण पश्चात् फोटोग्राफ्स एवं विडियोग्राफी सहित तथा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन पूर्ण पालन कर पालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ्स सहित 6 माह के भीतर प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में वर्तमान में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को स्वतः निरस्त माना जाएगा।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए।
4. पर्यावरणीय स्वीकृति की कैचता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत रहेगी।
5. उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व आवेदक, क्षेत्र में उपलब्ध मिट्टी 9,539.75 घनमीटर को सीमा पट्टी 7,711 वर्गमीटर में आवश्यकतानुसार भण्डारण करने के उपरांत अवशेष मिट्टी लगभग 6,764.75 घनमीटर के भण्डारण हेतु सक्षम प्राधिकारी से विधिवत् अनुमति प्राप्त की जाए तथा अनुमति की प्रति एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित की जाए।
6. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
7. खनि पट्टा धारक खान संचालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री-ग्रॉसिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा,

जिससे यह चारा, वनस्पतियों, जीवों आदि के उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।

8. भू-जल के उपयोग (यदि किया जाता हो तो) हेतु केन्द्रीय भू-जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
9. किसी घिमनी / वेंट / प्वाइंट सोर्स से पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। क्रशर, स्क्रीन, ट्रांसफर प्वाइंट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का बेग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न पर्यावरण डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं डस्ट कंटेन्मेन्ट कम सर्प्रेशन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इसका सतत संचालन / संचारण सुनिश्चित किया जाए। विण्ड ब्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।
10. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
11. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का डंप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए।
12. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाईज) करने में किया जाए। जहाँ पर ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को खनन प्रक्रिया के साथ-साथ (कॉन्करेंटली) उपयोग किया जाना संभव न हो, तब इसे पृथक से भण्डारित कर भविष्य में उपयोग हेतु रखा जाए।
13. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से चिन्हीत स्थल पर भण्डारित किया जायेगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जाएं ताकि भण्डारित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विपरित प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊंचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।
14. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के पश्चात बने गड्ढों में पुनःभरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस-पास के सतही जल स्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा डम्प क्षेत्र में रिटेनिंग वॉल / गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।
16. खनिज का परिवहन मेकनेकली क्वर्कड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

17. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
59.74	2%	1.2	Following activities at, Government Middle School, Village- Nagjhar	
			Potable Drinking water facility with AMC	0.42
			Running water facility for toilets	0.15
			Total	0.57

18. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित स्कूल के प्राचार्य से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। साथ ही जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत आपके द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।
19. उपरोक्त सी.ई.आर. कार्य के अतिरिक्त परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के अंतर्गत 'पवित्र वन' के तहत (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 540 नग पौधों के लिए राशि 54,000 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 36,300 रुपये, खाद के लिए राशि 27,000 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए राशि 1,90,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,07,300 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 8,68,000 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। सी.ई.आर. के तहत पवित्र वन हेतु ग्राम पंचायत के सहमति उपरांत स्वयं के निजी भूमि (खसरा क्रमांक 122/1, 122/2, 122/3 एवं 122/4, क्षेत्रफल 0.48 हेक्टेयर) में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए।
20. उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 1,542 वृक्षों का सघन वृक्षारोपण किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।
21. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2022-23 में कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 900 पौधों का रोपण (कुल 1,542 पौधे) खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की

दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।

22. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये फोटोग्राफस सहित जानकारी पालन प्रतिवेदन के साथ जमा करें।
23. वृक्षारोपण का रख-रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
24. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफस अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।
25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मफ आदि प्रदान किए जाएं एवं समय-समय पर चिकित्सकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।
26. सक्षम प्राधिकारी / डी.जी.एम.एस. से अनुमति उपरांत सुरक्षित एवं नियंत्रित विधि से कंट्रोल ब्लारिस्टिंग किया जाए। फत्थर के छोटे-छोटे टुकड़ों (प्लाई रॉक्स) को उड़ने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सक्षम व्यवस्था किया जाए। बेट ड्रिलिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था आधारित ड्रिलिंग किया जाए, जिससे डस्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।
27. उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के उपर असंतुप्त प्रभाग में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
28. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।
29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।
30. कार्य स्थल पर यदि कैम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।
31. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
32. श्रमिकों का समय-समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।
33. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

34. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
35. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्स्वाव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
36. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस. ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।
37. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, बिलासपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
38. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
39. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार / एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर / केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों / अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।
40. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
41. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके।

खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

42. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।
43. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।


सदस्य, अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.


अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

ENVIRONMENTAL CLEARANCE CONDITIONS FOR COMMERCIAL COMPLEX & WAREHOUSING PROJECT BY M/S L. K. CORPORATE AND LOGISTICS PARK AT DUMARTARAI, TEHSIL & DISTRICT- RAIPUR IN PROJECT AREA - 9.531 HA TO 14.809 HA FOR THE PROPOSED EXPANSION IN BUILTUP AREA - 49,056.62 M² TO 70,169.20 M²

I. Statutory Compliance:

- The project proponent shall obtain all necessary clearance / permission from all relevant agencies including Town & Country planning authority before commencement of work. All the construction shall be done in accordance with the local building byelaws.
- The project proponent shall obtain permission for this project from Chhattisgarh Real Estate Regulatory Authority, Raipur. (If required)
- The approval of the Competent Authority shall be obtained for structural safety of Buildings due to earthquakes, adequacy of fire fighting equipment etc as per National Building Code including protection measures from lightening etc.
- The project proponent shall obtain Consent to Establish / Operate under the provisions of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the concerned State Pollution Control Board/ Committee.
- The project proponent shall obtain the necessary permission for drawl of ground water / surface water required for the project from the competent authority.
- A certificate of adequacy of available power from the agency supplying power to the project along with the load allowed for the project should be obtained.
- All other statutory clearances such as the approvals for storage of diesel from Chief Controller of Explosives, Fire Department, Civil Aviation Department shall be obtained, as applicable, by project proponents from the respective competent authorities.
- The provisions of the Solid Waste (Management) Rules, 2016, e-Waste (Management) Rules, 2016, the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 (as amended) and the Plastic Waste (Management) Rules, 2016 (as amended) shall be followed.
- The project proponent shall follow the ECBC/ECBC-R prescribed by Bureau of Energy Efficiency, Ministry of Power strictly. Use of chillers shall be CFC & HCFC free.

II. Air Quality Monitoring And Preservation

- Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi notification GSR 94(E) dated 25/01/2018 of regarding mandatory implementation of dust mitigation measures for Construction and Demolition Activities for projects requiring Environmental Clearance shall be complied.
- A management plan shall be drawn up and implemented to contain the current exceedance in ambient air quality at the site.
- The project proponent shall install system to carryout Ambient Air Quality monitoring for common/criterion parameters relevant to the main pollutants released (e.g. PM₁₀ and PM_{2.5}) covering upwind and downwind directions during the construction period.
- Diesel power generating sets proposed as source of backup power should be of enclosed type and conform to rules made under the Environment (Protection) Act, 1986. The height of stack of DG sets should be equal to the height needed for the combined capacity of all proposed DG sets. Use of low sulphur diesel. The location of the DG sets may be decided with in consultation with State Pollution Control Board.
- Construction site shall be adequately barricaded before the construction begins. Dust, smoke & other air pollution prevention measures (for eg. Dust sprinkling, covering with green net etc.) shall be provided for the building as well as the site. These measures shall include screens for the building under construction, continuous dust/ wind breaking walls all around the site (at least 3 meter height). Plastic/tarpaulin sheet covers shall be provided for vehicles bringing in sand, cement, murrum and other construction materials prone to causing dust pollution at the site as well as taking out debris from the site.
- Sand, murrum, loose soil, cement, stored on site shall be covered adequately so as to prevent dust pollution. Wet jet shall be provided for grinding and stone cutting.
- Unpaved surfaces and loose soil shall be adequately sprinkled with water to suppress dust.
- All construction and demolition debris shall be stored at the site (and not dumped on the roads or open spaces outside) before they are properly disposed. All demolition and



construction waste shall be managed as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Rules, 2016.

- ix. The diesel generator sets to be used during construction phase shall be low sulphur diesel type and shall conform to Environmental (Protection) prescribed for air and noise emission standards.
- x. The gaseous emissions from DG set shall be dispersed through adequate stack height as per CPCB standards. Acoustic enclosure shall be provided to the DG sets to mitigate the noise pollution. Low sulphur diesel shall be used. The location of the DG set and exhaust pipe height shall be as per the provisions of the Central Pollution Control Board (CPCB) norms.
- xi. For indoor air quality the ventilation provisions as per National Building Code of India.

III. Water Quality Monitoring And Preservation

- i. The natural drain system should be maintained for ensuring unrestricted flow of water. No construction shall be allowed to obstruct the natural drainage through the site, on wetland and water bodies. Check dams, bio-swales, landscape, and other sustainable urban drainage systems (SUDS) are allowed for maintaining the drainage pattern and to harvest rain water.
- ii. Buildings shall be designed to follow the natural topography as much as possible. Minimum cutting and filling should be done.
- iii. Total fresh water requirement capacity 29.25 m³/day shall not exceed in the existing and the proposed project.
- iv. The quantity of fresh water usage, water recycling and rainwater harvesting shall be measured and recorded to monitor the water balance as projected by the project proponent. The record shall be submitted to the Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nagpur along with six monthly Monitoring reports.
- v. A certificate shall be obtained from the local body supplying water, specifying the total annual water availability with the local authority, the quantity of water already committed, the quantity of water allotted to the project under consideration and the balance water available. This should be specified separately for ground water and surface water sources, ensuring that there is no impact on other users.
- vi. At least 20% of the open spaces as required by the local building bye-laws shall be pervious. Use of Grass pavers, paver blocks with at least 50% opening, landscape etc. would be considered as pervious surface.
- vii. Installation of dual pipe plumbing for supplying fresh water for drinking, cooking and bathing etc and other for supply of recycled water for flushing, landscape irrigation, car washing, thermal cooling, conditioning etc. shall be done.
- viii. Use of water saving devices/ fixtures (viz. low flow flushing systems; use of low flow faucets tap aerators etc) for water conservation shall be incorporated in the building plan.
- ix. Separation of grey and black water should be done by the use of dual plumbing system. In case of single stack system separate recirculation lines for flushing by giving dual plumbing system be done.
- x. Water demand during construction should be reduced by use of pre-mixed concrete, curing agents and other best practices referred.
- xi. The local bye-law provisions on rain water harvesting should be followed. If local bye-law provision is not available, adequate provision for storage and recharge should be followed as per the Ministry of Urban Development Model Building Byelaws, 2016. Rain water harvesting recharge pits/storage tanks shall be provided for ground water recharging as per the CGWB norms.
- xii. A rain water harvesting plan needs to be designed where the recharge bores of minimum one recharge bore per 5,000 square meters of built up area and storage capacity of minimum one day of total fresh water requirement shall be provided. In areas where ground water recharge is not feasible, the rain water should be harvested and stored for reuse. The ground water shall not be withdrawn without approval from the Competent Authority. Project proponent shall develop rainwater-harvesting structures for 100% harvesting of rainwater in the premises for recharging the ground water table. Rainwater from open spaces shall be collected and reuse for landscaping and other purposes. Rooftop rainwater harvesting shall be adopted for the buildings & residential blocks to be constructed by individual owners. Every building shall have rainwater-harvesting facilities. The storm water flowing in roadside drains shall also be recycled and reused to maintain the vegetation and discharged into natural water bodies. Before recharging the surface runoff, pre treatment must be done to remove suspended matter and oil & grease. Rainwater harvesting pits shall be constructed as per proposal.
- xiii. The project proponent shall complete construction of rainwater harvesting structure within four months.
- xiv. All recharge should be limited to shallow aquifer.
- xv. Water shall be sourced from Raipur Municipal Corporation. No ground water shall be used during construction phase of the project before prior permission from CGWA.

- xvi. Any ground water dewatering should be properly managed and shall conform to the approvals and the guidelines of the CGWA in the matter. Formal approval shall be taken from the CGWA for any ground water abstraction or dewatering.
- xvii. The quantity of fresh water usage, water recycling and rainwater harvesting shall be measured and recorded to monitor the water balance as projected by the project proponent. The record shall be submitted to the Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nagpur along with six monthly Monitoring reports.
- xviii. Sewage shall be treated in the STP (bar screen, oil/ grease trap, equalization tank, MBBR tank, sand filter, activated carbon filter, filter press and sludge drying bed) with tertiary treatment. The treated effluent from STP shall be recycled/re-used for flushing, AC make up water and gardening after disinfection. As proposed, no untreated water shall be disposed into municipal drain. As far as possible, zero discharge condition shall be maintained. Project proponent shall construct pucca drain upto nearest municipal drain. Project proponent shall install separate electric metering arrangement with time totalizer for the running of pollution control systems. The record (logbook) of power & chemical consumption for running the pollution control systems shall be maintained.
- xix. The capacity of Sewage Treatment Plant Capacity shall not be less than 35 m³/day.
- xx. No sewage or untreated effluent water would be discharged through storm water drains.
- xxi. Onsite sewage treatment of capacity of treating 100% waste water to be installed. The installation of the Sewage Treatment Plant (STP) shall be certified by an independent expert and a report in this regard shall be submitted to the Ministry before the project is commissioned for operation. Treated waste water shall be reused on site for landscape, flushing, cooling tower, and other end-uses. Excess treated water shall be discharged as per statutory norms notified by Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Natural treatment systems shall be promoted.
- xxii. Periodical monitoring of water quality of treated sewage shall be conducted. Necessary measures should be made to mitigate the odour problem from STP.
- xxiii. Sludge from the onsite sewage treatment, including septic tanks, shall be collected, conveyed and disposed as per the Ministry of Urban Development, Central Public Health and Environmental Engineering Organization (CPHEEO) Manual on Sewerage and Sewage Treatment Systems, 2013. The sludge generated from Sewage Treatment Plant (after drying) shall be used as manure for gardening purpose.

IV. Noise Monitoring And Prevention

- i. Ambient noise levels shall conform to residential area/commercial area/industrial area/silence zone both during day and night as per Noise Pollution (Control and Regulation) Rules, 2000. Incremental pollution loads on the ambient air and noise quality shall be closely monitored during construction phase. Adequate measures shall be made to reduce ambient air and noise level during construction phase, so as to conform to the stipulated standards by CPCB / SPCB.
- ii. Noise level survey shall be carried as per the prescribed guidelines and report in this regard shall be submitted to Regional Officer, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nagpur as a part of six-monthly compliance report.
- iii. Acoustic enclosures for DG sets, noise barriers for ground-run bays, ear plugs for operating personnel shall be implemented as mitigation measures for noise impact due to ground sources.

V. Energy Conservation Measures

- i. Compliance with the Energy Conservation Building Code (ECBC) of Bureau of Energy Efficiency shall be ensured. Buildings in the States which have notified their own ECBC, shall comply with the State ECBC.
- ii. Outdoor and common area lighting shall be LED.
- iii. Concept of passive solar design that minimize energy consumption in buildings by using design elements, such as building orientation, landscaping, efficient building envelope, appropriate fenestration, increased day lighting design and thermal mass etc. shall be incorporated in the building design. Wall, window, and roof u-values shall be as per ECBC specifications.
- iv. Energy conservation measures like installation of LED for the lighting the area outside the building should be integral part of the project design and should be in place before project commissioning.
- v. Solar, wind or other Renewable Energy shall be installed to meet electricity generation equivalent to 1% of the demand load or as per the state level / local building bye-laws requirement, whichever is higher.

- vi. Solar power shall be used for lighting in the apartment to reduce the power load on grid. Separate electric meter shall be installed for solar power. Solar water heating shall be provided to meet 20% of the hot water demand of the commercial and institutional building or as per the requirement of the local building bye-laws, whichever is higher. Residential buildings are also recommended to meet its hot water demand from solar water heaters, as far as possible.

VI. Waste Management

- i. A certificate from the competent authority handling municipal solid wastes, indicating the existing civic capacities of handling and their adequacy to cater to the M.S.W. generated from project shall be obtained.
- ii. Disposal of muck during construction phase shall not create any adverse effect on the neighboring communities and be disposed taking the necessary precautions for general safety and health aspects of people, only in approved sites with the approval of competent authority.
- iii. Separate wet and dry bins must be provided in each unit and at the ground level for facilitating segregation of waste. Solid waste shall be segregated into wet garbage and inert materials.
- iv. Organic waste compost/ Vermiculture pit/ Organic Waste Converter within the premises with a minimum capacity of 0.3 kg /person/day must be installed.
- v. All non-biodegradable waste shall be handed over to authorized recyclers for which a written tie up must be done with the authorized recyclers.
- vi. Any hazardous waste generated during construction phase, shall be disposed off as per applicable rules and norms with necessary approvals of the State Pollution Control Board.
- vii. Use of fly ash based bricks / blocks / tiles / products shall be ensured. Blended cement with fly ash shall be used. The provisions of notification issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India regarding use of fly ash must be complied with. Appropriate usage of other industrial wastes shall also be explored. Soil borrow area should be filled up with ash with proper compaction and covered with topsoil kept separately. Fly ash / pond ash shall be used for low-lying areas filling. In embankments / road construction etc. ash shall be utilized as per guidelines of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India / Central Pollution Control Board / Indian Road Congress etc. concerning authorities. The use of perforated brick / hollow blocks / fly ash based lightweight aerated concrete etc. shall also be ensured so as to reduce load on natural resources.
- viii. Fly ash should be used as building material in the construction as per the provision of Fly Ash Notification of September, 1999 and amended as on 27th August, 2003, 25th January, 2016 and 31st December 2021. Ready mixed concrete must be used in building construction.
- ix. Any wastes from construction and demolition activities related thereto shall be managed so as to strictly conform to the Construction and Demolition Rules, 2016.
- x. Used CFLs, LEDs and TFLs should be properly collected and disposed off / sent for recycling as per the prevailing guidelines / rules of the regulatory authority to avoid mercury contamination.

VII. Green Cover

- i. No tree can be felled/transplant unless exigencies demand. Where absolutely necessary, tree felling shall be with prior permission from the concerned regulatory authority. Old trees should be retained based on girth and age regulations as may be prescribed by the Forest Department. Plantations to be ensured species (cut) to species (planted).
- ii. Green belt shall be developed in an area equal to 15.5 % of the net planning area with a native tree species in accordance with CPCB guidelines and additional 4.64 % plantation in buffer zone area of 9 meter width. The greenbelt shall inter alia cover the entire periphery of the constructed. As far as possible maximum area of open spaces shall be utilized for plantation purposes. A minimum of 1 tree for every 80 sqm of land should be planted and maintained. The existing trees will be counted for this purpose. The landscape planning should include plantation of native species. The species with heavy foliage, broad leaves and wide canopy cover are desirable. Water intensive and/or invasive species should not be used for landscaping.
- iii. Where the trees need to be cut with prior permission from the concerned local Authority, compensatory plantation in the ratio of 1:10 (i.e. planting of 10 trees for every 1 tree that is cut) shall be done and maintained. Plantations to be ensured species (cut) to species (planted). Area for green belt development shall be provided as per the details provided in the project document.
- iv. Topsoil should be stripped to a depth of 20 cm from the areas proposed for buildings, roads, paved areas, and external services. It should be stockpiled appropriately in designated areas and reapplied during plantation of the proposed vegetation on site.

RECEIVED

VIII. Transport

- i. A comprehensive mobility plan, as per MoUD best practices guidelines (URDPFI), shall be prepared to include motorized, non-motorized, public, and private networks. Road should be designed with due consideration for environment, and safety of users. The road system can be designed with these basic criteria.
 - a. Hierarchy of roads with proper segregation of vehicular and pedestrian traffic.
 - b. Traffic calming measures.
 - c. Proper design of entry and exit points.
 - d. Parking norms as per local regulation.
- ii. Vehicles hired for bringing construction material to the site should be in good condition and should have a pollution check certificate and should conform to applicable air and noise emission standards be operated only during non-peak hours.
- iii. A detailed traffic management and traffic decongestion plan shall be drawn up to ensure that the current level of service of the roads within a 05 kms radius of the project is maintained and improved upon after the implementation of the project. This plan should be based on cumulative impact of all development and increased habitation being carried out or proposed to be carried out by the project or other agencies in this 05 Kms radius of the site in different scenarios of space and time and the traffic management plan shall be duly validated and certified by the State Urban Development department and the P.W.D./ competent authority for road augmentation and shall also have their consent to the implementation of components of the plan which involve the participation of these departments.
- iv. The project proponent shall use covered leak proof trucks / dumpers vehicles for transportation of construction materials and C& D wastes.

IX. Human Health Issues

- i. All workers working at the construction site and involved in loading, unloading, carriage of construction material and construction debris or working in any area with dust pollution shall be provided with dust mask.
- ii. For indoor air quality the ventilation provisions as per National Building Code of India. Emergency preparedness plan based on the Hazard identification and Risk Assessment (HIRA) and Disaster Management Plan shall be implemented.
- iii. Provision shall be made for the housing of construction labour within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile STP, safe drinking water, medical health care, crèche etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project. Occupational health surveillance of the workers shall be done on a regular basis.
- iv. A First Aid Room shall be provided in the project both during construction and operations of the project.

X. Corporate Environment Responsibility

- i. The project proponent shall submit Corporate Environment Responsibility fund Rupees 17,00,000/- to Forest Development Corporation (FDC).
- ii. The project proponent shall submit DPR taken from Forest Development Corporation (FDC) within two month, failing which Environment Clearance will be treated as cancelled.
- iii. The company shall have a well laid down environmental policy duly approve by the Board of Directors. The environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balances and to bring into focus any infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions. The company shall have defined system of reporting infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions and / shareholders / stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh as a part of six-monthly report.
- iv. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter level, with qualified personnel shall be set up under the control of Senior Executive, who will directly to the head of the organization.
- v. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nagpur / SEIAA, Chhattisgarh along with the Six Monthly Compliance Report.

- vi. Self environmental audit shall be conducted annually. Every three years third party environmental audit shall be carried out.
- vii. All the recommendations made in the Charter on Corporate Responsibility for Environment Protection (CREP) for the plants (if any) shall be implemented.

XI. Additional Conditions

- i. Local persons shall be given employment during development and operation of the site.
- ii. The project proponent shall make public the environmental clearance granted for their project along with the environmental conditions and safeguards at their cost by prominently advertising it at least in two local newspapers of the District or State, of which one shall be in the vernacular language within seven days and in addition this shall also be displayed in the project proponent's website permanently.
- iii. The copies of the environmental clearance shall be submitted by the project proponents to the Heads of Local Bodies, Panchayats and Municipal Bodies in addition to the relevant offices of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt.
- iv. The project proponent shall upload the status of compliance of the stipulated environment clearance conditions, including results of monitored data on their website and update the same on half-yearly basis.
- v. The project proponent shall monitor the criteria pollutants level namely, PM₁₀, SO₂, NO_x (ambient levels as well as stack emissions) or critical sectoral parameters (if any), indicated for the projects and display the same at a convenient location for disclosure to the public and put on the website of the company.
- vi. The project proponent shall submit six-monthly reports on the status of the compliance of the stipulated environmental conditions on the website of the ministry of Environment, Forest and Climate Change at environment clearance portal.
- vii. The project proponent shall submit the environmental statement for each financial year in Form-V to Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) as prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, as amended subsequently and put on the website of the company. The project proponent shall inform the Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nagpur as well as SEIAA, Chhattisgarh the date of financial closure and final approval of the project by the concerned authorities, commencing the land development work and start of production operation by the project.
- viii. The project authorities must strictly adhere to the stipulations made by the Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) and the State Government.
- ix. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA / EMP report and also that during their presentation to the State Expert Appraisal Committee.
- x. No further expansion or modifications in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh.
- xi. Concealing factual data or submission of false / fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.
- xii. SEIAA, Chhattisgarh may revoke or suspend the clearance, if implementation of any of the above conditions is not satisfactory.
- xiii. SEIAA, Chhattisgarh reserves the right to stipulate additional conditions if found necessary. The Company in a time bound manner shall implement these conditions.
- xiv. The Regional Office Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nagpur shall monitor compliance of the stipulated conditions. The project authorities should extend full cooperation to the officer (s) of the Regional Office by furnishing the requisite data / information / monitoring reports.
- xv. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India / High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.
- xvi. Any appeal against this EC shall lie with the National Green Tribunal, if preferred, within a period of 30 days as prescribed under Section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010.
- xvii. Environment clearance will be valid as per the provision of EIA Notification, 2006 (as Amended).


Member Secretary, SEAC


Chairman, SEAC

मेसर्स श्री हेमंत साहू, ब्रिक अर्थ माईन
को खसरा क्रमांक 147/1 एवं 148, ग्राम-बिचेसरा, तहसील व जिला-मुंगेली,
कुल लीज क्षेत्र 2.023 हेक्टेयर, मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) क्षमता-4,985
घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
2. उत्खनन क्षेत्र 2.023 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से अधिकतम मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) क्षमता - 4,985 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।
3. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत रहेगी।
4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ओएम दिनांक 24/06/2013 के अनुसार किसी सिविल स्ट्रक्चर से कम से कम 15 मीटर की दूरी छोड़कर उत्खनन क्षेत्र की परिधि सुनिश्चित किया जाए। फिक्स विमनी से चारों तरफ उत्खनन क्षेत्र की सीमा कम से कम 15 मीटर दूर सुनिश्चित किया जाए। भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ओएम दिनांक 24/06/2013 में मिट्टी उत्खनन हेतु निर्धारित गाईड-लाइन का पालन सुनिश्चित किया जाए।
5. उत्खनन की अधिकतम गहराई 2 मीटर से अधिक नहीं होगी। उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के उपर असंतृप्त प्रभाग में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
6. खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए। औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिये सैप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था किया जाए एवं किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
7. भू-जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय भू-जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त किया जाए। (यदि आवश्यक हो)
8. ईट उत्पादन हेतु फिक्सड विमनी जिग-जैंग किलन आधारित ईट भट्टे की स्थापना किया जाए। ईट भट्टे की विमनी से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा एवं विमनी की ऊंचाई भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय

का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

17. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
55	2%	1.10	Following activities at Village- Chichesara	
			Pavitra Van Nirman	8.75
			Total	8.75

18. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरान्त संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए।
19. सी.ई.आर. के अंतर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार "पवित्र वन" के तहत (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 14,200 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 65,400 रुपये, खाद के लिए राशि 1,780 रुपये, सिंचाई एवं रख-रखाव के लिए राशि 2,22,920 रुपये, इस प्रकार कुल राशि 3,04,300 रुपये प्रथम वर्ष हेतु एवं कुल राशि 5,71,684 रुपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत भरुहागुडा के सहमति उपरान्त यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 147/1 एवं 148, क्षेत्रफल 0.49 हेक्टेयर) पर प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण किया जाए। साथ ही जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत आपके द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।
20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 01 मीटर चौड़ी बेल्ड), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 250 वृक्षों का सघन वृक्षारोपण किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।
21. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2022-23 में कम से कम 250 पौधे लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के पौधों का रोपण खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा डी गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित

ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।

22. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये फोटोग्राफस सहित जानकारी पालन प्रतिवेदन के साथ जमा करें।
23. वृक्षारोपण का रख-रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
24. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफस अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस. ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।
25. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।
26. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।
27. मिट्टी उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए।
28. कार्य स्थल पर यदि कैंम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगायें जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।
29. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल विविक्तकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
30. श्रमिकों का समय-समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।
31. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
32. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें मिट्टी उत्खनन सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस. ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
33. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
34. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 02 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 07 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय

- स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय की वेबसाइट www.envfor.nic.in एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।
35. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, बिलासपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
36. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
37. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।
38. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
39. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ ने प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाध्य निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए.,

छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

40. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।
41. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिये गये प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।


सदस्य, अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.


अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.